वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान ऊन क्षेत्र योजना के विकास के लिए
वस्त्र मंत्रालय के एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)
के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश

विषय-वस्तु

क्र.सं	एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के घटक एवं उपघटकवार दिशानिर्देश	पृष्ठ सं.
क	**आईडब्ल्यूडीपी के सामान्य दिशानिर्देश**	
1	घटक: **ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)**	
1.1	कच्ची ऊन के विपणन के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण	
1.2	ऊन की मार्केटिंग/नीलामी के लिए ई-पोर्टल और एमआईएस का विकास	
1.3	ऊन उत्पादक सोसायटियों/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के लिए वित्तीय सहायता	
1.4	क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन	
1.5	मौजूदा/नई ऊन मंडी /ग्रेडिंग और संग्रह केंद्रों (भंडारण हॉल, नीलामी सुविधा, परीक्षण, प्लेटफार्म आदि) में ऊन विपणन के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता।	
1.6	घरेलू स्वतंत्र ऊनी एक्सपोज़ का आयोजन	
1.7	स्टॉल हायर करने के आधार पर घरेलू एक्सपो का आयोजन	
2	घटक: **ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)**	
2.1	ऊन प्रसंस्करण मशीनों/सुविधाओं के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना	
2.2	शीप शियरिंग मशीनों के लिए वित्तीय सहायता	
2.3	अन्य मशीनों/ उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता जैसे:- बेल प्रेस मशीन, परीक्षण उपकरण और हार्डवेयर (सीएडी) सहित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर	
2.4	ऊनी वस्तुओं (हथकरघा/कालीन करघे, बुनाई मशीनें, कताई चरखा) के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता	
3	**घटक: मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक गतिविधियाँ (एचआरडी)**	
3.1	ऊनी वस्तुओं के निर्माण/बुनाई के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	
3.2	औद्योगिक कामगारों को ऑनसाइट प्रशिक्षण	
3.3	मशीन शीप शियरिंग का प्रशिक्षण	

3.4	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ	
3.5	अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सहयोग हितधारकों की बैठक/सम्मेलन	
3.6	सेमिनार/कार्यशाला/भेड़ मेला, मेला, बैठक का आयोजन	
3.7	ऊन सर्वेक्षण, ऊन क्षेत्र पर अध्ययन	
3.8	बीकानेर (राजस्थान) में मौजूदा ऊन परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन जिसमें अपग्रेडेशन और कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में डब्ल्यूडीटीसी/आईएससी शामिल है।	
3.9	योजना का प्रचार, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग, दौरे, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन और स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम आदि।	
4	**घटक: पशमीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)**	
4.1	पश्मीना ऊन विपणन के लिए रिवॉल्विंग फंड (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए)	
4.2	पश्मीना ऊन प्रसंस्करण के लिए मशीनों की स्थापना	
4.3	पश्मीना बकरी के लिए गार्ड रूम सहित शेल्टर शेड का निर्माण।	
4.4	एसेसरीज सहित पोर्टेबल टेंट का वितरण	
4.5	एलईडी लाइटों वाले प्रीडेटर प्रूफ कोरल का वितरण	
4.6	पश्मीना उत्पादों की पहचान/परीक्षण करने के लिए डीएनए एनालाइजर सहित परीक्षण उपकरण	
4.7	लेह में डेहेयरिंग प्लांट परिसर में शोरूम का विकास	
4.8	पश्मीना बकरियों के लिए फोडर लैंड/सरकारी फार्म का विकास	
ख	अनुलग्नक-I: परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रारूप	
ग	अनुलग्नक-II: प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रारूप	

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

क.- वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक ऊन क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश।

1. **कार्यक्रम:-**

1.1 वस्त्र मंत्रालय का ऊन क्षेत्र कार्यक्रम अर्थात् 'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अर्थात् वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक सभी ऊन उत्पादक राज्यों में अनुमोदित एसएफसी के अनुसार लागू किया जाएगा। आईडब्ल्यूडीपी के तहत पांच वर्षों के लिए उप-योजनाएं/घटक-वार वित्तीय आवंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

'एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम' (आईडब्ल्यूडीपी) के अंतर्गत घटक	**पांच वर्षों के लिए बजट आवंटन**
I. ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)	12.42
II. ऊन प्रसंस्करण योजना: (डब्ल्यूपीएस)	31.30
III. मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक गतिविधियाँ योजना (एचआरडी)	18.48
IV. पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)	29.25
कुल (I से IV)	**91.45**
V. कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना लागत के 2% की दर से प्रशासनिक व्यय	1.83
कुल (I से V)	**93.28**
VI. नोडल एजेंसी (सीडब्ल्यूडीबी) के लिए स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय	20.00
VII. वित्त वर्ष 2021-22 में मौजूदा योजनाओं के तहत पिछली/प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रावधान, जिसमें आईआईटी, दिल्ली द्वारा जारी शीप शियरिंग परियोजना के लिए भावी खर्च भी शामिल है।	12.71
वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए कुल आवंटन (I से VII)	**125.99 करोड़ रुपए या 126 करोड़ रुपए**

1.2. दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के तहत उप-घटकों यानी पात्रता मानदंड, बजट सीमा, आवंटित बजट, इकाई मूल्य, फंडिंग पैटर्न, कार्यान्वयन एजेंसियां, भौतिक लक्ष्य, लाभार्थी और आउटपुट आउटकम इंडीकेटर्स का विवरण शामिल है और ये अलग से दिए गए हैं।

1.3 एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) होगी।

1.4 परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, परियोजनाओं को लागू करने के लिए उनके ओवरहेड खर्चों को पूरा करने के लिए आईडब्ल्यूडीपी के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को कुल परियोजना लागत का 2% प्रशासनिक व्यय प्रदान किया जाएगा।

1.5 उपरोक्त तालिका में दिए गए ब्रेकअप के अनुसार, 20 करोड़ रुपये का प्रशासनिक और स्थापना परिव्यय। (योजना के कुल परिव्यय 126 करोड़ रुपये में शामिल करके), मुख्य रूप से वेतन, भत्ते, मजदूरी और वैधानिक भुगतान/बकाया और सीडब्ल्यूडीबी के स्थापना व्यय से संबंधित है।

2. **कार्यान्वयन एजेंसियां:-**

2.1. मानव संसाधन विकास घटक/योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास उप-घटक को छोड़कर एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के तहत ऊन क्षेत्र की योजनाएं संबंधित केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के विभागों/संगठनों के माध्यम से निम्नानुसार कार्यान्वित की जाएंगी:

क) केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार। निगम/संघ
ख) केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वैधानिक, स्वायत्त और सलाहकार निकाय/विभाग
ग) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार पशुपालन/उद्योग/सहकारिता विभाग।
घ) केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के विभाग/संगठन।
ङ) राज्य/केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय,
च) सरकारी. विपणन कार्यक्रम आयोजक जैसे जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आदि (ऊनी एक्सपो के आयोजन के लिए)

2.2 एचआरडी घटक/योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास उप-घटक को निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा:

क) केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें स्वायत्त/वैधानिक निकाय/अनुसंधान एवं विकास संस्थान। वस्त्र क्षेत्र से संबंधित परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के संचालन के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निकाय के रूप में वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए)।
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय।
ग) केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के विभाग/संगठन।

3. **वित्तीय व्यवस्था:**

3.1 वस्त्र मंत्रालय केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) को वार्षिक धनराशि एक ही मद अर्थात् एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के तहत देगा। एसएफसी नोट के अनुसार,

आईडब्ल्यूडीपी ऊन क्षेत्र के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीडब्ल्यूडीबी से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को 100% अनुदान का फंडिंग पैटर्न होगा।

3.2 योजनाओं/उप-योजनाओं/घटकों/उप-घटकों के तहत आवंटित धनराशि का पुनर्विनियोजन अनुमोदित एसएफसी सीमा के भीतर, नोडल एजेंसी (सीडब्ल्यूडीबी) की कार्यकारी समिति के अनुमोदन से राज्य/केंद्र/केंद्र शासित प्रदेश सरकार संगठन/कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) की आवश्यकता/मांग के अनुसार किया जाएगा।

4. परियोजना प्रस्ताव:-

4.1 कार्यक्रम के घटकों/उप-घटकों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) वित्तीय और भौतिक योजना मानदंडों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेंगी जिसमें परियोजना क्षेत्र का मौजूदा परिदृश्य, कार्यान्वयन की पद्धति स्थान, उपलब्ध श्रमशक्ति, अवसंरचनात्मक ढाँचा, अपेक्षित आउटपुट और आउटकम मात्रात्मक शर्तों में इंडीकेट्स और संभावित रोजगार सृजन (यदि कोई हो), आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड (यदि लागू हो) मोबाइल नंबर, उनकी श्रेणी (एससी/एसटी/महिला/सामान्य), वर्षवार भौतिक और वित्तीय कार्य योजना, मदों की विशिष्टता, समय-सीमा आदि जैसे विवरण के साथ व्यक्तिगत लाभार्थियों की संख्या, यदि कोई हो निर्धारित प्रारूप (<u>अनुलग्नक-I)</u> में, शामिल होंगे और परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिए सीडब्ल्यूडीबी को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव (हार्ड और सॉफ्टकॉपी दोनों में) प्रस्तुत करेंगे।

4.2 कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय ऊन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला में उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3 अनुसंधान एवं विकास परियोजना के मामले में, सूचना और पेटेंट के गैर-प्रकटीकरण के साथ-साथ उद्योग के साथ व्यावसायीकरण योजना के लिए नोडल एजेंसी यानी केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के साथ एमओयू अनिवार्य होगा।

4.4 मंत्रालय की एसआईटीपी योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क, आईडब्ल्यूडीपी के विभिन्न घटकों/उप-योजनाओं के तहत ऊन के लिए विशिष्ट संयंत्र और मशीनरी, परीक्षण उपकरण की खरीद के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित टेक्सटाइल पार्क के एसपीवी द्वारा योजना मानदंडों के अनुसार परियोजना प्रस्तावों को कार्यान्वयन के लिए सीडब्ल्यूडीबी को भेजा जाएगा।

5. परियोजना मूल्यांकन/अनुमोदन एवं निधियां जारी करना:-

5.1 40 लाख रुपये तक की लागत वाले प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना प्रस्ताव को कार्यान्वयन के लिए परियोजना समिति (पीसी) द्वारा मंजूरी दी जाएगी। 40 लाख रुपये से अधिक लागत वाले और निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज/जानकारी और संबंधित योजना/उप-

योजना के मानदंडों को पूरा करने वाले परियोजना प्रस्तावों की जांच परियोजना समिति द्वारा की जाएगी और उन्हें वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में विचार एवं अनुमोदन हेतु तकनीकी समिति (टीसी) के समक्ष रखा जाएगा।

5.2 आईडब्ल्यूडीपी की तकनीकी समिति (टीसी) सीडब्ल्यूडीबी से 40 लाख रुपये से अधिक और तीन करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना प्रस्तावों को वर्षवार जारी निधि के अनुमोदन सहित मंजूरी देगी। टीसी तीन करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता वाले प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना प्रस्तावों की सीडब्ल्यूडीबी की कार्यकारी समिति (ईसी) को सिफारिश करेगी।

5.3 आईडब्ल्यूडीपी की परियोजना समिति (पीसी) की संरचना:-

I. कार्यकारी निदेशक; सीडब्ल्यूडीबी - अध्यक्ष
II. निदेशक; केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (जयपुर)
III. निदेशक, वस्त्र आयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय, **नोएडा**
IV. अवर सचिव (आईएफडब्ल्यू), वस्त्र मंत्रालय
V. यूएस (फाइबर : ऊन डिवीजन से संबंधित); वस्त्र मंत्रालय

उपरोक्त के अलावा, परियोजना समिति संबंधित केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी विभाग, कार्यान्वयन एजेंसियों, अनुसंधान संगठनों और शिक्षाविद से किसी विषय विशेषज्ञ को भी आवश्यकता के अनुसार विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है। संबंधित सदस्य/संगठन के अधिकृत प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकते हैं।

5.4 आईडब्ल्यूडीपी की तकनीकी समिति (टीसी) की संरचना:-

I. वस्त्र आयुक्त (टीएक्ससी) - अध्यक्ष
II. निदेशक; केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (जयपुर)
III. निदेशक/उप. सचिव/यूएस (फाइबर : ऊन प्रभाग से संबंधित); वस्त्र मंत्रालय
IV. निदेशक/उप. सचिव/अवर सचिव; एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय,
V. निदेशक, पशुपालन/उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार
VI. निदेशक, पशु एवं भेड़पालन/उद्योग विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लेह
VII. प्रबंध निदेशक, एचपी राज्य सहकारी. ऊन खरीद एवं मार्केटिंग फैडरेशन लिमिटेड, शिमला
VIII. प्रबंध निदेशक, कर्नाटक भेड़ एवं ऊन विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु
IX. सीईओ, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून।
X. कार्यकारी निदेशक; सीडब्ल्यूडीबी - सदस्य सचिव

उपरोक्त के अलावा, तकनीकी समिति संबंधित केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के विभाग, कार्यान्वयन एजेंसियां, अनुसंधान संगठन और शिक्षाविद आवश्यकता के अनुसार किसी

विशेषज्ञ को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकती है। संबंधित सदस्य/संगठन के अधिकृत प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकते हैं।

5.5 तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसित तीन करोड़ रुपये से अधिक लागत के प्रत्येक व्यक्तिगत परियोजना प्रस्ताव सीडब्ल्यूडीबी की कार्यकारी समिति (ईसी) के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। तीन करोड़ रुपये से ऊपर के प्रस्तावों के लिए ईसी की सिफारिश सचिव (वस्त्र) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

5.6 सीडब्ल्यूडीबी की कार्यकारी समिति (ईसी) की संरचना:

I. अध्यक्ष- संयुक्त सचिव (फाइबर/ऊन); वस्त्र मंत्रालय
II. वस्त्र आयुक्त (टीएक्ससी), टीएक्ससी कार्यालय, मुंबई
III. निदेशक/उप. सचिव/यूएस (फाइबर : ऊन प्रभाग से संबंधित); वस्त्र मंत्रालय
IV. उप. सचिव/निदेशक; एकीकृत वित्त विंग; वस्त्र मंत्रालय,
V. निदेशक (उद्योग/वीएसआई), नीति आयोग, नई दिल्ली
VI. निदेशक, पशु एवं भेड़पालन/उद्योग विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लेह
VII. निदेशक; केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर की इकाई), अविकानगर
VIII. प्रबंध निदेशक, कर्नाटक भेड़ एवं ऊन विकास निगम, बेंगलुरु
IX. सीईओ, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड, देहरादून
X. कार्यकारी निदेशक; सीडब्ल्यूडीबी सदस्य सचिव के रूप में।

ईसी के अध्यक्ष परियोजनाओं पर विचार करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के संबंधित विभागाध्यक्ष और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं। संबंधित सदस्यों के अधिकृत प्रतिनिधि बैठक में भाग ले सकते हैं।

5.7 परियोजना समिति/तकनीकी समिति/कार्यकारी समिति/सचिव (वस्त्र) द्वारा परियोजनाओं के अनुमोदन के बाद, अनुदान जारी करने के लिए मंजूरी आदेश कार्यकारी निदेशक, सीडब्ल्यूडीबी द्वारा जीएफआर और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किश्तों में नियमों और शर्तों के साथ जारी किया जाएगा।

5.8 कार्यान्वयन एजेंसी भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों वाली परियोजनाओं की मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट सीडब्ल्यूडीबी को भेजेगी। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रारूप की एक प्रति **अनुबंध-II** के रूप में संलग्न है।

5.9 सभी कार्यान्वयन एजेंसियां जीएफआर के तहत निर्धारित जारी अनुदान के लिए सीडब्ल्यूडीबी को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगी, जो यदि कोई अगले अनुदान जारी करने का अनुरोध है, तो उसके साथ-साथ घटक-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति, उपलब्धियों और जारी धन के लिए निरीक्षण रिपोर्ट के विवरण के साथ समर्थित होगा।

5.10 कार्यकारी निदेशक, सीडब्ल्यूडीबी, आईडब्ल्यूडीपी योजना के एचआरडी घटक के तहत इस उद्देश्य हेतु आवंटित बजट प्रावधानों की सीमा के भीतर बीकानेर और कुल्लू में बोर्ड के अपने शाखा केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किराया, बिजली और पानी, टेलीफोन, वजीफा, मानदेय, स्टेशनरी, रसायन, कच्चे माल (यार्न), कर जैसे आकस्मिक और सांविधिक बकाया का भुगतान कर सकता है। कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए इसे तकनीकी समिति की अगली/बाद की बैठक में रखा जाएगा।

6. निगरानी एवं मूल्यांकन:-

6.1 प्रत्येक परियोजना का निरीक्षण न्यूनतम दो सदस्यों से गठित एक टीम द्वारा किया जाएगा। अगली किस्त जारी करने के लिए संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

6.2 सीडब्ल्यूडीबी में निरीक्षण हेतु वस्त्र आयुक्त/केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान (सीएसडब्ल्यूआरआई)/संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के सदस्य शामिल होंगे। सीडब्ल्यूडीबी का प्रतिनिधि अनिवार्य होगा।

6.3 40 लाख रुपये तक की परियोजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग परियोजना समिति द्वारा की जाएगी, 40 लाख रुपये से अधिक और 3 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की समीक्षा तकनीकी समिति द्वारा की जाएगी। ईसी द्वारा अनुशंसित 3 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी।

6.4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में टीसी की न्यूनतम दो बैठकें होंगी।

7. आईडब्ल्यूडीपी का स्वतंत्र मूल्यांकन:-

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) का तृतीय पक्ष/स्वतंत्र मूल्यांकन योजना अवधि के अंतिम वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26) में एक बाहरी एजेंसी/तृतीय पक्ष मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

8. आईए द्वारा अनुसरण की जाने वाली कार्यान्वयन शर्तें:-

परियोजना में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रियात्मक शर्तें इस प्रकार हैं:

8.1 योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना घटकों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी और डीपीआर में उल्लिखित समय अवधि के भीतर परियोजना के तहत परिकल्पित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

8.2 अनुदान आईडब्ल्यूडीपी योजना के तहत जीएफआर के अनुसार दो/तीन किस्तों में जारी किया जाएगा। जारी की जाने वाली किस्तों की संख्या प्रत्येक उप-घटक-वार दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट होगी।

8.3 योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को भावी सहायता/अनुदान सहायता परियोजना में हुई प्रगति के आधार पर जारी की जाएगी।

8.4 परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी अनुचित, अतर्कसंगत चूक के मामले में, आईए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ पूरा अनुदान वापस कर देगा।

8.5 प्रत्येक परियोजना को क्रमशः परियोजना समिति (पीसी)/तकनीकी समिति (टीसी)/कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा निर्धारित/अनुमोदित समय सीमा के भीतर कार्यान्वित किया जाना चाहिए। 40 लाख रुपये तक की परियोजनाओं की समयसीमा का विस्तार परियोजना समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 40 लाख रुपये से अधिक और 3 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं की समयसीमा का विस्तार तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 3 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं की समयसीमा का विस्तार कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। आईए परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा के विस्तार की मांग के मामले में आईए, सीडब्ल्यूडीबी को उचित औचित्य के साथ एक लिखित अनुरोध अग्रेषित करेगा।

8.6 कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को सीडब्ल्यूडीबी को परियोजना के परिणाम, अनुदान उपयोग आदि वाली एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। सीडब्ल्यूडीबी परियोजना अनुमोदन समिति यानी परियोजना समिति (पीसी)/तकनीकी समिति (टीसी)/कार्यकारी समिति (ईसी) के समक्ष रिपोर्ट रखेगी और संबंधित समिति परियोजनाओं को बंद करने की मंजूरी देगी।

8.7 आईए द्वारा क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले, सीडब्ल्यूडीबी द्वारा गठित टीम द्वारा परियोजना का निरीक्षण अनिवार्य होगा।

8.8 सभी व्यय भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के सिद्धांतों/दिशानिर्देशों और योजना दिशानिर्देश के अनुसार किए जाएंगे।

8.9 आईए द्वारा परियोजना के गैर-कार्यान्वयन के मामले में पूरा अनुदान भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ सीडब्ल्यूडीबी को वापस कर दिया जाएगा और किसी भी परियोजना के आंशिक कार्यान्वयन के मामले में अव्ययित राशि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ सीडब्ल्यूडीबी को वापस कर दी जाएगी। परियोजना के पूरा होने के बाद कोई भी खर्च न की गई राशि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) को वापस कर दी जाएगी।

8.10 इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि अनुदान प्राप्तकर्ता उस उद्देश्य के लिए अनुदान का उपयोग करने में विफल रहता है जिसके लिए उसे मंजूरी दी गई है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता को सीडब्ल्यूडीबी को

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ अनुदान की राशि वापस करनी होगी।

8.11 कार्यान्वयन एजेंसी सीडब्ल्यूडीबी को मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसमें भौतिक और वित्तीय प्रगति विवरण और निर्धारित प्रारूप के अनुसार इस अवधि के दौरान कवर किए गए व्यक्तिगत लाभार्थियों का विवरण शामिल होगा। (**अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न)।

8.12 कार्यान्वयन एजेंसी सीडब्ल्यूडीबी द्वारा अपेक्षित मांग पर लेखापरीक्षा के लिए तुरंत अपने खाते प्रस्तुत करेगी।

8.13 कार्यान्वयन एजेंसी अनुदान से पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित की गई स्थायी और अर्ध-स्थायी संपत्तियों का सामान्य वित्तीय नियम 2017 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर बनाए रखेगी।

8.14 कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र सीडब्ल्यूडीबी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद या अगली किस्त जारी करने के अनुरोध से पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

8.15 कार्यान्वयन एजेंसियों को यह कहते हुए एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मंजूरी आदेश में निर्धारित शर्तों का पालन करेगी।

8.16 जिस योजना के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, आवश्यकता के अनुसार परियोजना क्षेत्रों में संबंधित योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए उसका निरीक्षण और मूल्यांकन सीडब्ल्यूडीबी द्वारा या सीडब्ल्यूडीबी द्वारा अधिकृत एक टीम द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

8.17 कार्यान्वयन एजेंसी सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करने के लिए बाध्य है।

8.18 सहायता अनुदान से निर्मित भवन, यदि कोई हो, का मालिकाना हक अनुदान प्राप्तकर्ता के पास होगा और आईए ऐसे भवन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। बोर्ड की अनुदान सहायता से पूरी तरह या काफी हद तक अर्जित संपत्ति, बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना, जिस उद्देश्य के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था, उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निस्तारण, ऋणग्रस्त या उपयोग नहीं किया जाएगा।

8.19 कार्यान्वयन एजेंसी को सुनिश्चित करना चाहिए कि दोहराव से बचने के लिए राज्य/केंद्र/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की अन्य योजना/ कार्यक्रम से समान प्रकृति का लाभ नहीं मिल रहा है।

8.20 कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) जहां भी लागू हो, परियोजनाओं के तहत व्यक्तिगत लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार कार्ड का उपयोग करेगी और किसी व्यक्ति के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में निर्धारित डीबीटी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से धन जारी करेगी।

8.21 कार्यान्वयन एजेंसी को सभी लाभार्थियों का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड (यदि लागू हो), मोबाइल नंबर और यदि परियोजना के तहत लागू हो तो उनकी श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी)/बीपीएल/ओबीसी/महिला आदि जैसा उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए और वह इसे सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेंगी।

8.22 कार्यान्वयन एजेंसी योजना के तहत कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियों के साक्ष्य (फोटो/वीडियो रिकॉर्डिंग) रखेगी।

8.23 आईए परियोजना के तहत खरीदे गए सभी उपकरणों/मशीनरियों के रखरखाव की लागत वहन करेगा। सभी उपकरणों को चालू हालत में रखना आईए की जिम्मेदारी होगी।

8.24 योजना के तहत इंस्टाल की गई मशीनरी/संयंत्र चालू होने के सात साल बाद कार्यान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

8.25 यदि आवश्यक हो, तो कार्यान्वयन एजेंसियां भवन निर्माण के लिए ऊन प्रसंस्करण योजना के तहत सीएफसी की स्थापना के लिए परियोजना के तहत भूमि के स्पष्ट टाइटल डीड/लीज डीड और नॉन-एन्कम्ब्रैन्स प्रमाण पत्र के साथ भूमि का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेंगी।

8.26 यदि परियोजना सरकारी कार्यान्वयन एजेंसी के अधीन किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है तो समग्र जिम्मेदारी केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार एजेंसी की होगी। केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की एजेंसी को धनराशि जारी की जाएगी। एजेंसी और उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के कार्यान्वयन के लिए उप-घटकवार विस्तृत दिशानिर्देश

1. घटक का नाम: ऊन विपणन योजना (डब्ल्यूएमएस)

1.1. उप -घटक: कच्ची ऊन के विपणन के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण:-

1.1.1. उद्देश्य - भेड़ पालक एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं जो अपनी ऊन कम मात्रा में बेचते हैं। वर्तमान व्यवस्था में भेड़ पालकों को अपनी आर्थिक मजबूरियों, भेड़ अर्थव्यवस्था में ऊन के कम योगदान और कम मात्रा तथा बाजारों के दूर स्थित होने के कारण व्यापारियों द्वारा निर्धारित कीमतों पर अपने उत्पादन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। ऊन विपणन की प्रचलित प्रणाली भेड़पालकों के लिए कम लाभदायक है और लाभ का मुख्य हिस्सा बिचौलियों को जाता है। इसलिए, राज्य सरकार के संगठनों द्वारा ऊन उत्पादकों से एक निश्चित मूल्य पर सीधे ऊन खरीदने की आवश्यकता है। राज्य

सरकार के संगठन को ऊन उत्पादकों से सीधे निर्धारित मूल्य पर ऊन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1.1.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के निगम/संघ।

ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन।

ग) कोई अन्य सरकारी. विपणन एजेंसी

1.1.3. शर्तें

(i) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) सीधे भेड़ पालकों या उनकी समितियों/एसएचजी/समूह से ऊन खरीदेगी।

(ii) कच्ची ऊन का खरीद मूल्य संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के विभाग से अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) लाभार्थियों को भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर/चेक/डीडी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित करके किया जाएगा

(iv) कार्यान्वयन एजेंसी को सभी लाभार्थियों का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड (यदि लागू हो), मोबाइल नंबर और यदि परियोजना के तहत लागू हो तो उनकी श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी)/बीपीएल/ओबीसी/महिला आदि जैसा उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए और वह इसे सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेंगी।

(v) कार्यान्वयन एजेंसी योजना के तहत कार्यान्वित प्रमुख गतिविधियों के साक्ष्य (फोटो/वीडियो रिकॉर्डिंग) रखेगी।

(vi) आईए रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रदान किए गए अनुदान से कोई वित्तीय घाटा दर्ज नहीं करेगा।

(vii) आईए सभी लाभार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड सीडब्ल्यूडीबी को भौतिक रिपोर्ट के साथ डिजिटल रूप में प्रस्तुत करेगा।

(viii) आईए खरीदे गए ऊन की मात्रा, ऊन उत्पादकों की सूची जिनसे ऊन खरीदा गया, क्षेत्र, ऊन की खरीद दर, ऊन बिक्री विवरण और त्रैमासिक आधार पर उपयोग किए गए अनुदान का विस्तृत ब्यौरा सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेगा।

(ix) आईए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके पास गतिविधि शुरू करने के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक ढांचा है।

(x) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर रिवॉल्विंग फंड के लिए यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो उसे सीडब्ल्यूडीबी में जमा किया जाएगा

(xi) 12 महीने से अधिक समय तक रिवॉल्विंग फंड का उपयोग न करने की स्थिति में, कार्यान्वयन एजेंसी भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ पूरी अनुदान राशि सीडब्ल्यूडीबी को वापस कर देगी। आईए को सीडब्ल्यूडीबी को औचित्य के

साथ रिवॉल्विंग फंड जारी करने के लिए भावी आवश्यकता हेतु एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(xii) यदि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में ऊन की कीमत तय करने में विफल रहता है और ऊन की कोई खरीद नहीं की जाती है, तो रिवॉल्विंग फंड सीडब्ल्यूडीबी को वापस कर दी जाएगी और रिवॉल्विंग फंड की आवश्यकता के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(xiii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xiv) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त : परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

1.1.4. पांच वर्षों के लिए बजट आबंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
कच्ची ऊन के विपणन के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण **(आवंटन-350 लाख)**	इकाई मूल्य:- 50 लाख पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- रिवॉल्विंग फंड की 7 इकाइयाँ	कच्ची ऊन के विपणन के लिए रिवॉल्विंग फंड का निर्माण	स्वीकृत रिवॉल्विंग फंड परियोजनाओं की संख्या	1	2	2	2	-	ऊन की खरीद	ऊन खरीदा गया (किलो में)और संख्या। ऊन उत्पादकों को लाभ हुआ	ऊन उत्पादकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ

1.1.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक, ऊन उत्पादक सहकारी समितियाँ, एसएचजी, आदि।

1.2. उप-घटक : <u>ऊन के विपणन/नीलामी और एमआईएस के विकास के लिए ई-पोर्टल</u>

1.2.1. उद्देश्य : उप-घटक का उद्देश्य उद्योग उपयोग के लिए सरकारी संगठन द्वारा कच्ची ऊन की ई-नीलामी के लिए एक डिजिटल मंच तैयार करना है। ऊन की नीलामी के लिए ई-पोर्टल विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1.2.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के निगम/संघ।

ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान।

ग) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

घ) कोई अन्य सरकारी विपणन एजेंसी

1.2.3. शर्तें

(i) कच्ची ऊन के विपणन/नीलामी के लिए ई-पोर्टल के विकास और डिजाइनिंग हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा। यह एकमुश्त अनुदान होगा।

(ii) आईए पोर्टल पर विपणन सुविधाओं के लिए ऊन की मात्रा, गुणवत्ता और बिक्री मूल्य की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(iii) आईए ई-पोर्टल के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के सुचारू कामकाज, रखरखाव और उन्नयन और कच्ची ऊन की नीलामी के लिए जिम्मेदार होगा जो सभी खरीदारों के लिए खुला रहेगा।

(iv) आईए ई-पोर्टल के विकास के लिए पेशेवर मदद ले सकता है।

(v) समयावधि- यह परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(vi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(vii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त : परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

1.2.4. पांच वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
के विपणन/नीलामी और एमआईएस के विकास के लिए ई-पोर्टल **(आवंटन- रु. 20 लाख)**	*इकाई मूल्य:-* 5 *लाख* *पाँच वर्षों का लक्ष्य:-4* ई-पोर्टल केंद्र	के विपणन/ नीलामी एवं एमआईएस के विकास हेतु ई-पोर्टल हेतु वित्तीय सहायक स्वीकृत	स्वीकृत ई-पोर्टल की संख्या	1	1	1	1	-	मात्रा और गुणवत्ता के साथ ऊन की ऑनलाइन कीमत की उपलब्धता	बनाए गए ई-पोर्टल की संख्या	ऊन की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा

1.2.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक, ऊन उत्पादक सहकारी समितियाँ, एसएचजी, आदि।

1.3. उप-घटक: (i). <u>ऊन उत्पादक समितियों/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन के लिए वित्तीय सहायता</u>

1.3.1. उद्देश्य - वर्तमान व्यवस्था में भेड़ प्रजनकों को अपनी आर्थिक बाध्यताओं, भेड़ अर्थव्यवस्था में ऊन के कम अंशदान और कम मात्रा तथा बाजारों के दूर स्थित होने के कारण व्यापारियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। आम तौर पर, भेड़ प्रजनक अपनी ऊन को बाजार में नहीं ले जाते हैं और ऊन की एक बड़ी मात्रा स्थानीय व्यापारियों और/या बाहरी व्यापारियों द्वारा अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदी जाती है। ऊन उत्पादकों की मोलभाव क्षमता बढ़ाने के लिए ऊन उत्पादक समितियाँ/ एसएचजी बनाने की आवश्यकता है ताकि ऊन उत्पादक बेहतर कीमत पाने के लिए थोक में ऊन बेच सकें। उपघटक का उद्देश्य आईए को ऊन उत्पादक समितियां/एसएचजी बनाने में सुविधा प्रदान करना है।

1.3.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) पशुपालन विभाग; केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान/बोर्ड/राज्य सरकार कार्पोरेशन /फेडरेशन। .

ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

1.3.3. शर्तें

(i) आईए द्वारा ऊन उत्पादकों का समूह (सोसाइटी/एसएचजी आदि) गठित किया जाएगा और उन्हें संबंधित सरकारी निकाय के साथ पंजीकृत किया जाएगा।

(ii) आईए को सीडब्ल्यूडीबी को भौतिक रिपोर्ट के साथ सभी लाभार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(iii) ऊन उत्पादक या उनके समूह सोसायटी के सदस्य बन सकते हैं और आईए के मार्गदर्शन में काम करेंगे।

(iv) सीडब्ल्यूडीबी क्रय-विक्रय सहकारी समिति/ कृषि विज्ञान केन्द्र/ सहकारी समिति आदि को भी आमंत्रित कर सकता है जो विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकार के कार्यक्रमों के तहत कृषि/डेयरी वस्तुओं के लिए किसानों के हित में राज्यों/जिला/ग्राम स्तर पर आदि पहले से ही स्थापित हैं और काम कर रही हैं।

(v) समयावधि- यह परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(vi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(vii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त : परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

1.3.4. पांच वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26			
									आउटकम	संकेतक	
ऊन उत्पादक समितियों/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के लिए वित्तीय सहायता **(आवंटन- 13 रु. लाख)**	इकाई मूल्य:- 1 लाख पाँच वर्षों का लक्ष्य:-13 सोसायटी/एस एचजी	ऊन उत्पादक समितियों/ स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत	स्वीकृत सोसायटी/एस एचजी की संख्या	1	3	3	3	3	सोसायटी/ एसएचजी का गठन	गठित सोसायटी/एस एचजी की संख्या	• ऊन का ढेर लगाना • ऊन विपणन हेतु ऊन उत्पाद कों का संगठन • ऊन की बिक्री में आसानी

1.3.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक, ऊन उत्पादक सहकारी समितियाँ, एसएचजी, आदि।

1.4. उप-घटक : <u>क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन</u>

1.4.1. उद्देश्य - इस घटक का उद्देश्य ऊन उत्पादक क्षेत्रों में उपयोगकर्ता उद्योग को आमंत्रित करके ऊन उत्पादकों को सीधे ऊनी उद्योग को कच्ची ऊन की बिक्री की सुविधा प्रदान करना है। ऊन उत्पादक क्षेत्रों में उद्योग/व्यापारियों को आमंत्रित करके ऊन उत्पादकों और ऊनी उद्योग/व्यापारियों की बैठकें आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1.4.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान/बोर्ड/राज्य सरकार के निगम/संघ और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन.

1.4.3. शर्तें

(i) आईए इस बैठक के लिए व्यक्तिगत ऊन उत्पादकों या उनके समूह (एसएचजी/सोसाइटी) और ऊन व्यापारियों, उद्योगों को आमंत्रित कर सकता है।

(ii) आईए द्वारा क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया जाएगा।

(iii) सीडब्ल्यूडीबी आईए की आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

(iv) आईए सीडब्ल्यूडीबी को बेची गई ऊन की कीमत/मात्रा के साथ बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(v) आईए बैठक का स्थान और प्रतिभागियों को अंतिम रूप देगा।

(vi) समयावधि- यह परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(vii) *उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।*

(viii) *अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-*

क) पहली किस्त : परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) *दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%*

1.4.4. पांच वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन **(आवंटन- रु . 24 लाख)**	*इकाई मूल्य:-* 2 *लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:-* 12 *आयोजन*	*क्रेता-विक्रेता बैठक के आयोजन* के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत	*स्वीकृत क्रेता-विक्रेता बैठकों की संख्या*	*2*	*3*	*3*	*2*	*2*	आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठकों की संख्या	क्रेता-विक्रेता बैठक में बेचा गया ऊन (किलो में)	क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए ऊन विपणन के बेहतर अवसर।

1.4.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक, व्यापारी, ऊन उत्पादक सहकारी समितियाँ, एसएचजी, आदि।

1.5. उप- घटक: मौजूदा/नई ऊन मंडी /ग्रेडिंग और संग्रह केंद्र (भंडारण हॉल, नीलामी सुविधा, परीक्षण, प्लेटफार्म आदि) में ऊन विपणन के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता।

1.5.1. उद्देश्य - वर्तमान में ऊन मंडियों का संचालन करने वाले राज्य कृषि विपणन बोर्ड/विपणन समिति को छोड़कर अधिकांश राज्यों में उचित और नियमित ऊन मंडियां नहीं हैं। मंडी /ग्रेडिंग या संग्रहण केंद्रों के अवसंरचनात्मक ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। अधिकांश मंडियों में ऊन की गुणवत्ता परीक्षण, ऊन का उचित भंडारण, ग्रेडिंग और प्राथमिक प्रसंस्करण सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। इन ऊन मंडी /संग्रह केंद्रों की स्थापना और विनियमन के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक ढांचे की स्थापना के लिए ऊन उत्पादक राज्यों या ऊन मंडियों के अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

1.5.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार। निगम/संघ
ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन
ग) सरकारी मंडी विकास प्राधिकरण

1.5.3. शर्तें

(i) आईए को ऊन मंडियों/ग्रेडिंग और संग्रह केंद्रों पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तकनीकी विशिष्टताओं और मदवार लागत सहित डीपीआर प्रस्तुत करना चाहिए।
(ii) ऊन ग्रेडिंग और विपणन केंद्र के लिए भवन का निर्माण/बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना चाहिए।
(iii) जीएफआर मानदंडों के अनुसार सभी उपकरण, मशीनें खरीदी जाएंगी।
(iv) आवर्ती लागत आईए द्वारा वहन की जाएगी।
(v) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 18 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।
(vi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(vii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-
क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%
ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

1.5.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
मौजूदा/नई	*इकाई*	मौजूदा/	*अवसंरच*	-	*1*	*1*	*1*	*1*	ऊन मंडी	ऊन	• ऊन के

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
ऊन मंडियों/ग्रेडिंग और संग्रह केंद्र (भंडारण हॉल, नीलामी सुविधा, परीक्षण, मंच आदि) में ऊन विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता **(आवंटन-200 लाख रु.)**	*मूल्य:-* 50 *लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:-* 4 *मंडियां /ग्रेडिंग/संग्रह* केंद्र	नई ऊन मंडियों /ग्रेडिंग और संग्रह केंद्रों (भंडारण हॉल, नीलामी सुविधा, परीक्षण, मंच आदि) में ऊन विपणन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता की गई	*ना को मजबूत करने के लिए कवर की गई मंडियों की संख्या*						/ग्रेडिंग/संग्रह केंद्र पर बेहतर अवसंरचना	मण्डी / ग्रेडिंग/संग्रह की संख्या को सुदृढ़ किया गया।	विपणन के लिए ऊन मंडी में अधिक सुविधाएं (भंडारण हॉल, ग्रेडिंग, परीक्षण, मंच आदि)। • नीलामी/ऑन लाइन ऊन विपणन की सुविधा • ग्रेडिंग, परीक्षण के माध्यम से ऊन के लिए बेहतर दर

1.5.5. **लाभार्थी-** ऊन उत्पादक, व्यापारी, उद्योग, ऊन उत्पादक सहकारी समितियाँ, एसएचजी, आदि।

1.6. उपघटक: घरेलू स्वतंत्र वूलन एक्सपो का आयोजन

1.6.1. उद्देश्य-ऊनी उत्पादों का विपणन एक कमजोर क्षेत्र है और नियमित अंतराल पर ऊनी एक्सपो आयोजित करके इसके समाधान करने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य ऊनी उत्पादों के विपणन के लिए सहायता प्रदान करना और ऊनी कारीगरों/बुनकरों की मदद करना है, सोसायटी खरीदारों तक अपनी पहुंच बढ़ाती हैं और ऊनी उत्पादों के लिए नए विपणन रास्ते खोलती हैं। यह घटक ऊनी उत्पादों जैसे: ऊनी हथकरघा, कालीन, ऊनी खादी आइटम, नैमड्स, ट्वीड, हथकरघा वस्त्र, ऊनी सजावटी सामान, बैन्कट, कांबली आदि के लिए अतिरिक्त विपणन अवसर बनाने में मदद करेगा इस योजना के माध्यम से नए बाजारों के संपर्क में आने से नई मांग सृजित होगी। जो इस क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देगा,

योजना अवधि के दौरान इस घटक के तहत वूलन एक्सपो (ऊनी उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री) का आयोजन किया जाएगा।

1.6.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार कार्पोरेशन/फेडरेशन।
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार विभाग/संगठन
ग) सरकारी विपणन कार्यक्रम आयोजक अर्थात् जिला उद्योग विभाग/केंद्र (डीआईसी), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आदि।

1.6.3. शर्तें

(i) स्वतंत्र एक्सपो की अवधि सामान्य तौर पर 7 दिन होगी और उप-घटक की अधिकतम बजट सीमा के भीतर इसे 15 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।
(ii) जीएफआर के अनुसार पवैलियन का निर्माण, प्रचार आदि के संबंध में निविदा नोटिस।
(iii) आईए एक निविदा खोलने वाली सह कार्य समिति का गठन करेगा जिसमें सीडब्ल्यूडीबी का एक प्रतिनिधि होगा।
(iv) आईए सभी बिलों/वाउचरों/दस्तावेजों का सत्यापन करेगा।
(v) आईए प्रतिभागियों को आमंत्रित करेगा और प्रतिभागियों की सूची को अंतिम रूप देगा। यह प्रतिभागियों की आवश्यक संख्या भी सुनिश्चित करेगा।
(vi) सीडब्ल्यूडीबी प्रतिभागियों के आवेदनों पर विचार करने के लिए आईए को भी भेज सकता है।
(vii) प्रतिभागियों को ऊनी वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत होना चाहिए और संबंधित सरकार, विभाग जैसे उद्योग/डीआईसी, विकास आयुक्त हथकरघा/हस्तशिल्प, केवीआईसी/खादी संस्थान आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
(viii) एक्सपो की अवधि में विस्तार/कमी के लिए सीडब्ल्यूडीबी की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी
(ix) समाचार पत्रों में एक्सपो के प्रचार हेतु विज्ञापन डीएवीपी दरों पर दिये जायेंगे।
(x) आईए सुरक्षा से संबंधित सभी सावधानियां सुनिश्चित करेगा और एक्सपो स्थल पर सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा।
(xi) आईए स्टालवार दैनिक बिक्री रिकॉर्ड रखेगा और प्रतिभागियों के विवरण के साथ इसे सीडब्ल्यूडीबी को प्रदान करेगा।
(xii) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
(xiii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(xiv) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-
क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%
ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त का यूसी, निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने और प्रमाणित वाउचर/बिल जमा करने पर 40%।

1.6.4. 5 **वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस निम्नानुसार हैं-**

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
घरेलू स्वतंत्र ऊनी एक्सपो का आयोजन **(आवंटन-560 लाख रु.)**	*इकाई मूल्य:-* 40 *लाख* *पाँच वर्षों का लक्ष्य:-* *14* स्वतंत्र एक्सपो	घरेलू स्वतंत्र वूलन एक्सपो के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत	*स्वीकृत एक्सपो की संख्या*	*2*	*3*	3	3	3	आयोजित की गई घरेलू एक्सपो की संख्या	लाभान्वित बुनकरों/ कारीगरों /इकाइयों की संख्या	व्यक्तिगत बुनकरों/कारीगरों/सोसायटी/एसएचजी/ खादी इकाइयों आदि के लिए ऊनी उत्पाद की विपणन सुविधाओं की उपलब्धता

1.6.5. लाभार्थी- बुनकर, कारीगर, सहकारी सोसायटी, सरकार/केंद्र शासित प्रदेश विभाग, एसएचजी, एनजीओ आदि।

1.6.6. घरेलू स्वतंत्र ऊनी एक्सपो के आयोजन के लिए बजट प्रावधान का विभाजन निम्नानुसार है:

1.	प्रतिभागियों की संख्या (समितियां, खादी संस्थान, ऊनी कारीगर/बुनकर, सरकारी संगठन, सहकारी समितियां और ऊनी वस्तुओं के निर्माण में लगी अन्य प्राथमिक समितियां आदि)	संख्या 50
2.	7 से 15 दिनों की अवधि के लिए न्यूनतम 50 स्टॉल, कार्यालय, सभा हॉल की व्यवस्था, वीआईपी लाउंज, सुरक्षा कक्ष, फायर ब्रिगेड, जनरेटर और जलपान/भोजन/बैठने की जगह वाले पवेलियन के निर्माण की लागत	25 लाख रु.
3.	जमीन किराया, पानी, बिजली, जनरेटर, लाइसेंस शुल्क, कर, बीमा शुल्क, सुरक्षा और गार्ड, वाहन किराए पर लेना, कार्यशालाएं आदि सहित अवसंरचना की लागत।	5 लाख रु.
4.	प्रचार अभियान जिसमें अखबारों में विज्ञापन (डीएवीपी दर पर), बैनर, होर्डिंग, ऑडियो-वीडियो शो और अन्य प्रदर्शन व्यवस्था आदि का प्रकाशन, निमंत्रण कार्ड, उद्घाटन और समापन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है।	5 लाख रु.
5.	सामान्य सुविधाओं/सिविल सुविधाओं की लागत, पार्किंग सुविधा, वीआईपी यात्रा व्यवस्था व्यय आदि।	5 लाख रु.
	कुल	**40 लाख रु**

<u>नोटिस:</u> व्यय के अंतर-घटक समायोजन की अनुमति एक्सपो के भीतर मामले-वार स्थानीय परिस्थितियों, शहर/स्थान और वास्तविक लागत के आधार पर एक वूलन एक्सपो के लिए *40* लाख रुपये की सीमा के भीतर कार्यकारी निदेशक, सीडब्ल्यूडीबी द्वारा दी जाएगी।

1.7. किराये पर स्टॉल आधार पर घरेलू ऊनी एक्सपो का आयोजन

1.7.1 उद्देश्य- स्वतंत्र ऊनी एक्सपो के आयोजन के अलावा, बोर्ड सभी राज्यों में सर्दियों के मौसम के दौरान कारीगरों/बुनकरों, समितियों आदि द्वारा विनिर्मित ऊनी उत्पादों के लिए विपणन मंच प्रदान करने के लिए स्टॉल किराए पर लेने के लिए प्रति कार्यक्रम 7.50 लाख रुपये तक के वित्तीय प्रावधान के साथ जिला स्तर के प्रतिष्ठित मेलों/मेलों में भाग लेकर ऊनी एक्सपो का भी आयोजन करेगा। सामान्यतया पर इन एक्सपो में 7 से 10 दिनों की अवधि के लिए 30-40 स्टॉल किराए पर लिए जाएंगे, तथापि यदि अधिक मांग है तो अधिक स्टॉल किराए पर लिए जा सकते हैं, जिसके लिए कार्यकारी निदेशक, सीडब्ल्यूडीबी द्वारा मामले के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। इन एक्सपो/प्रदर्शनियों के लिए स्टॉल किराया शुल्क 25,000/- प्रति स्टॉल रुपये तक सीमित होगा। ऊनी स्टालों के लिए प्रचार अभियान, अखबार में विज्ञापन प्रकाशित करना, बैनर, होर्डिंग्स, ऑडियो-वीडियो शो, टैक्स आदि सभी खर्च 25,000/- रुपए में शामिल हैं।

1.7.2. कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकार, भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार/कार्पोरेशन/फेडरेशन।
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार/विभाग/संगठन
ग) सरकारी विपणन कार्यक्रम आयोजक अर्थात् जिला उद्योग विभाग/केंद्र (डीआईसी), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आदि।

1.7.3. शर्तें

(i) आईए प्रतिभागियों को आमंत्रित करेगा और प्रतिभागियों की सूची को अंतिम रूप देगा। यह प्रतिभागियों की आवश्यक संख्या भी सुनिश्चित करेगा।
(ii) सीडब्ल्यूडीबी आवेदनों को विचार के लिए आईए को भी भेज सकता है।
(iii) प्रतिभागियों को ऊनी वस्तुओं के निर्माण में कार्यरत होना चाहिए और संबंधित सरकारी विभाग जैसे-उद्योग/डीआईसी, विकास आयुक्त हथकरघा/हस्तशिल्प, केवीआईसी/खादी संस्थान आदि के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
(iv) अधिकतम स्टॉल किराया शुल्क रु. 25000/- प्रति स्टॉल जिसमें सभी शुल्क/प्रचार/कर/जीएसटी आदि शामिल हैं।
(v) आईए सुरक्षा से संबंधित सभी सावधानियां सुनिश्चित करेगा और एक्सपो स्थल पर सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगा।
(vi) आईए स्टालवार दैनिक बिक्री रिकॉर्ड करेगा और प्रतिभागियों के विवरण के साथ इसे सीडब्ल्यूडीबी को प्रदान करेगा।
(vii) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।
(viii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(ix) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-
क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%
ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

1.7.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
किराया स्टॉल के आधार पर घरेलू एक्सपो का आयोजन **(आवंटन-75 लाख रु.)**	*इकाई मूल्य* :- 7.50 *लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्यः*- किराये के आधार पर 10 एक्सपो	किराया स्टॉल के आधार पर घरेलू एक्सपो के आयोजन के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	किराया स्टॉल के आधार *पर स्वीकृत एक्सपो की संख्या*	*4*	*2*	1	1	2	किराया स्टॉल के आधार आयोजित घरेलू एक्सपो की संख्या	लाभान्वित बुनकरों/कारीगरों/इकाइयों की संख्या	व्यक्तिगत बुनकरों/कारीगरों/सोसायटी/एसएचजी/खादी इकाइयों आदि के लिए ऊनी उत्पाद की विपणन सुविधाओं की उपलब्धता

1.7.5. लाभार्थी- बुनकर, कारीगर, सहकारी सोसायटी, ऊनी उपभोक्ता।

2. घटक: ऊन प्रसंस्करण योजना (डब्ल्यूपीएस)

2.1. उप-घटक: सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना

2.1.1 **उद्देश्य-** ऊनी उद्योग अपर्याप्त और पुरानी प्रसंस्करण सुविधाओं का सामना करता है। तैयार उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री-लूम और पोस्ट-लूम सुविधाओं को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। ऊनी उत्पादों की गुणवत्तापूर्ण फिनिशिंग से न केवल स्वदेशी ऊन का उपयोग बढ़ेगा बल्कि यह उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनेगा। इससे ऊन उत्पादकों को बेहतर कीमत दिलाने में भी सहायता मिलेगी और खादी और हथकरघा क्षेत्र को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध होगा। ऊनी उद्योग के समग्र आकार और प्रसंस्करण के लिए आवश्यक उपकरणों की विशेष प्रकृति के कारण, उद्योग, आयातित संयंत्र और मशीनरी पर निर्भर रहा है। इस दृष्टि से सीडब्ल्यूडीबी द्वारा सभी प्रकार की ऊनी और ऊनी प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे-ऊनी सोर्सिंग, ड्राइंग, कार्डिंग, रंगाई, बुनाई, बुनाई, फेल्टिंग/गैर-बुनाई और फिनिशिंग ऊन उत्पादन और ऊन व्यापार क्षेत्रों में कच्चे ऊन और ऊनी वस्त्रों का एकीकृत प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। ऐसे संयंत्रों/केंद्रों की स्थापना से ऊन प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी और इसके परिणामस्वरूप भारतीय ऊन उद्योग में मूल्यवर्धन होगा और देश में अधिक रोजगार के अवसर और आय सृजित होगी। इस घटक के तहत संयंत्र और मशीनरी की स्थापना के लिए भवन निर्माण का भी प्रावधान किया गया है।

2.1.2. कार्यान्वयन एजेंसी

क) केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार/निगम/संघ

ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश/केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान/उद्योग विभाग।

ग) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार विभाग/संगठन.

घ) केंद्रीय/राज्य आईए अनुबंध/पट्टे के आधार पर परियोजनाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं।

2.1.3. शर्तें

(i) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के पास परियोजना प्रस्तुत करने से पहले भूमि (लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड) और कार्यशील पूंजी होनी चाहिए, परियोजना की मंजूरी के बाद और यदि आवश्यक हो तो भवन निर्माण के लिए निधि जारी करने से पहले स्पष्ट स्वामित्व प्रस्तुत करना होगा।

(ii) समयावधि-परियोजना पहली किस्त जारी होने के 24 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(iii) केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आईए के पास अनुबंध/पट्टे के आधार पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करने/चलाने का विकल्प हो सकता है। तथापि, केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकार एजेंसी ऐसे सीएफसी के कार्यान्वयन/प्रचालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी और सीडब्ल्यूडीबी को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।

(iv) सीएफसी परियोजना ऊन प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए जैसे- ऊन सोर्सिंग, कार्बोनाइजिंग, कताई, रंगाई, बुनाई, फिनिशिंग मशीनें (शॉल, कालीन, वस्त्र, आदि), गैर बुने, फेल्ट, बुनाई और ईटीपी के लिए प्रस्तुत की जा सकती है

(v) यदि आवश्यक हो तो आईए सभी वैधानिक अनुमोदन/मंजूरी जैसे- प्रदूषण, पर्यावरण आदि प्राप्त करेगा और उनके लिए शुल्क वहन करेगा।

(vi) परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय आईए को ऊन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला में उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना होगा और प्रस्तावित परियोजना के परिणाम संकेतक भी प्रस्तुत करना चाहिए।

(vii) आवश्यकता पड़ने पर सीडब्ल्यूडीबी द्वारा तय किए गए किसी भी तकनीकी संस्थान द्वारा परियोजना प्रस्ताव की जांच की जा सकती है, तकनीकी जांच के बाद प्रस्ताव टी.सी. एवं ई.सी. के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदन हेतु रखा जाएगा।

(viii) सीडब्ल्यूडीबी केवल मशीनरी की खरीद और भवन निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय आई.ए. द्वारा वहन किया जाएगा।

(ix) सीडब्ल्यूडीबी द्वारा कोई स्थापना लागत (जनशक्ति) वहन नहीं की जाएगी।

(x) आईए सीडब्ल्यूडीबी के अनुदान से पूर्ण या आंशिक रूप से की गई स्थायी और अर्ध स्थायी संपत्तियों के लिए जीएफआर के निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर बनाएगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(xi) आईए सीएफसी के लिए लाए गए सभी उपकरणों/मशीनरियों के रखरखाव की लागत वहन करेगा।

(xii) उपकरणों के एएमसी बीमा की लागत आईए द्वारा वहन की जाएगी। सभी उपकरणों को चालू रखना आईए की जिम्मेदारी होगी।

(xiii) सीएफसी मशीनरी की स्थापना से संबंधित निर्माण लागत स्वीकृत अनुदान के 25% से अधिक नहीं होगी और आईए भवन का रखरखाव करेगा। भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी से कराना होगा।

(xiv) सीएफसी के चालू होने के 7 वर्ष बाद, योजना के तहत स्थापित मशीनरी/संयंत्र को आईए को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(xv) जीएफआर मानदंडों के अनुसार सभी मशीनें खरीदी जाएंगी।

(xvi) केवल नई मशीनें खरीदी जाएंगी।

(xvii) आईए प्रसंस्कृत/निर्मित/प्रसंस्कृत ऊन की मात्रा और लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और मासिक/त्रैमासिक आधार पर लगाए गए प्रसंस्करण शुल्क का विवरण सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेगा।

(xviii) मंत्रालय की एसआईटीपी योजना के तहत वस्त्र पार्क, संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के मानदंडों के अनुसार परियोजना प्रस्ताव को संबंधित टेक्सटाइल पार्क के एसपीवी द्वारा सीडब्ल्यूडीबी को विचार के लिए भेजा जाएगा। आईए द्वारा एक वचन पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि इस योजना को किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से वित्त पोषित नहीं किया गया है।

(xix) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xx) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: यूसी, मशीनों और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद 30%

ग) तीसरी किस्त: दूसरी किस्त की यूसी प्राप्त होने, संयंत्र/मशीनों के चालू होने और निरीक्षण रिपोर्ट के बाद 10%

2.1.4. 5 **वर्षों के लिए बजट आवंटन**, **इकाई मूल्य**, **भौतिक लक्ष्य**, **आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार है-**

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
ऊन प्रसंस्करण मशीनों जैसे सोर्सिंग, कार्बोनाइजिंग, स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग मशीन (शॉल, कालीन, फैब्रिक, आदि), नॉन	*इकाई मूल्य :-* 500 *लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:-* ऊन प्रसंस्करण मशीनो के लिए 4	सोर्सिंग, कार्बोनाइजिंग, स्पिनिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग मशीन (शॉल, कालीन, फैब्रिक, आदि), नॉन वुवेन, फेल्ट, निटिंग, अंगोरा ऊन	स्वीकृत सीएफसी की संख्या	1	-	1	1	1	स्थापित सीएफसी की संख्या	सीएफसी में प्रसंस्कृत ऊन (किलो) / विनिर्मित उत्पाद/प्रसंस्कृत उत्पाद की मात्रा	• बेहतर ऊन प्रसंस्करण सुविधाओं की उपलब्धता • घरेलू ऊन की बेहतर खपत • आधुनिक प्रसंस्करण मशीनों के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाले

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
वुवेन, फेल्ट, निटिंग, अंगोरा ऊन प्रसंस्करण और मशीन के लिए भवन निर्माण सहित ईटीपी के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना करना। **(आवंटन-2000 लाख रु.)**	सीएफसी	प्रसंस्करण जैसे ऊन प्रसंस्करण मशीनों के लिए सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता									उत्पाद

2.1.5. लाभार्थी- ऊनी उद्यमी, ऊन उत्पादक, बुनकर, कारीगर, सहकारी समितियां एसएचजी

2.2. उप-घटक: भेड़ शेयरिंग मशीनों के लिए वित्तीय सहायता

2.2.1. उद्देश्य- मैनुअल शेयरिंग न केवल महंगी और अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है, बल्कि यह फाइबर लेंथ के संदर्भ में ऊन की गुणवत्ता को भी कम कर देती है। जबकि दूसरी ओर मशीन से शेयरिंग सस्ती, त्वरित होती है और इससे फाइबर की लेंथ में सुधार होता है। प्रति एनीमल ऊन की उपज भी लगभग 7-8% तक बढ़ जाती है। इसलिए विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन का उत्पादन करने वाले पहाड़ी राज्यों में मशीन शेयरिंग के तहत अधिक भेड़ों को शामिल करने के लिए अधिक भेड़ शेयरिंग मशीनें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। मशीन शेयरिंग गतिविधि शुरू करने के लिए शेयिरंग मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

2.2.2. कार्यान्वयन एजेंसी:

क) पशु/भेड़ पालन विभाग;
ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार निगम/संघ।
ग) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान।
घ) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

2.2.3. शर्तें:-

(i) परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय आईए को ऊन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला में उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना चाहिए और प्रस्तावित परियोजना के परिणाम संकेतक भी प्रस्तुत करना होगा।

(ii) सीडब्ल्यूडीबी स्पेयर पार्ट्स के साथ शेयरिंग मशीन की खरीद के लिए अनुदान प्रदान करेगा और किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय आई.ए. द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) आईए सीडब्ल्यूडीबी के अनुदान से पूरी तरह या आंशिक रूप से अर्जित की गई स्थायी और अर्ध स्थायी संपत्तियों के लिए जीएफआर के निर्धारित फॉर्म में एक रजिस्टर बनाएगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(iv) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(v) सीडब्ल्यूडीबी द्वारा कोई स्थापना लागत प्रदान नहीं की जाएगी

(vi) उपकरण की एएमसी की लागत आईए द्वारा वहन की जाएगी

(vii) आईए ऊन उत्पादकों को मशीन शेयरिंग की सुविधा प्रदान करेगा।

(viii) आईए शेयरिंग गतिविधि का विवरण प्रदान करेगा जैसे कि शामिल की गई भेड़ों की संख्या, ऊन उत्पादकों का विवरण, शयरिंग शुल्क, और मासिक/त्रैमासिक आधार पर सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ix) आईए सभी उपकरणों/मशीनरियों के रखरखाव की लागत वहन करेगा।

(x) सभी उपकरणों को चालू हालत में रखना आईए की जिम्मेदारी होगी।

(xi) योजना के तहत शेयरिंग मशीनों की खरीद के 07 वर्ष के बाद आईए को हस्तांतरित कर दी जाएगी

(xii) आईए ऊन उत्पादकों को उनके प्रवासी मार्ग पर शेयरिंग की सुविधा प्रदान करेगा

(xiii) आईए गांवों में ही शेयरिंग के लिए ग्राम पंचायतों को शेयरिंग मशीनें पट्टे पर दे सकता है।

(xiv) सभी मशीनें जीएफआर मानदंडों के अनुसार खरीदी जाएंगी।

(xv) केवल नई मशीनें खरीदी जाएंगी।

(xvi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xvii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: यूसी, मशीनों और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद 30%

ग) तीसरी किस्त: दूसरी किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 10%

2.2.4. 5 **वर्षों के लिए बजट आवंटन**, **इकाई मूल्य**, **भौतिक लक्ष्य**, **आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं-**

उप-घटक/ आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
भेड़ शियरिंग मशीनों के लिए वित्तीय	*इकाई मूल्य:-* 3 *लाख*	भेड़ शियरिंग मशीनों के लिए स्वीकृत	स्वीकृत शियरिंग मशीन की	50	20	20	20	10	आईए द्वारा खरीदी गई शियरिंग	शेयर्ड शीप की संख्या	• कम लागत वाली भेड़ शियरिंग की

उप-घटक/ आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
सहायता। **(आवंटन- 360 लाख रु.)**	*पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 120* भेड़ शियरिंग *मशीनें*	वित्तीय सहायता	संख्या						मशीन की संख्या		सुविधा की उपलब्धता • प्रति पशु ऊन उत्पाद में वृद्धि • फाइबर लेंथ के संदर्भ में ऊन की गुणवत्ता में सुधार

2.2.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक/उद्योग।

2.3. उप-घटक: बेल प्रेस मशीन, परीक्षण उपकरण और हार्डवेयर(सीएडी) सहित डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जैसे अन्य मशीनों/उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता

2.3.1. उद्देश्य- मौजूदा ऊन मंडियों में बेल प्रेस मशीनों की कमी है जो ऊन की गांठ बनाती हैं जिसके परिणामस्वरूप परिवहन लागत में कमी आती है। ऊन परीक्षण उपकरणों की कमी के कारण सस्ती दरों पर ऊन की बिक्री होती है, इसलिए, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की ऊन मंडी में या मौजूदा प्रयोगशालाओं में बेल प्रेस मशीनें और ऊन परीक्षण उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता है। यह अलग घटक ऊन परीक्षण उपकरण के लिए गुणवत्ता मानकों का एक व्यापक सेवा पैकेज प्रदान करेगा, ऊन की पैकेजिंग और परिवहन खर्च को कम करने और सुविधाएं बनाने के लिए बेल प्रेस मशीनों की स्थापना करेगा। हार्डवेयर के साथ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी.

2.3.2. कार्यान्वयन एजेंसी:

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार निगम/संघ
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान
ग) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन
घ) राज्य/केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय

2.3.3. शर्तें:-

(i) परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय आईए को ऊन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला में उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना होगा और निर्धारित प्रारूप में प्रस्तावित परियोजना पर परिणाम संकेतक भी प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) सीडब्ल्यूडीबी केवल मशीनरी पार्ट लिए अनुदान प्रदान करेगा, किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय आईए द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(iii) आईए सीडब्ल्यूडीबी के अनुदान से पूरी तरह या आंशिक रूप से अर्जित की गई स्थायी और अर्ध स्थायी संपत्तियों के लिए जीएफआर के निर्धारित फॉर्म में एक रजिस्टर बनाए रखेगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।

(iv) उपकरण की एएमसी की लागत आईए द्वारा वहन की जाएगी।

(v) आईए रखरखाव, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर अपग्रेडेशन और सभी उपकरण/मशीनरी की लागत वहन करेगा।

(vi) सभी उपकरणों को चालू हालत में रखना आईए की जिम्मेदारी होगी।

(vii) योजना के तहत स्थापित उपकरण/मशीनें चालू होने के 07 वर्ष बाद आईए को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

(viii) सभी मशीनें जीएफआर मानदंडों के अनुसार खरीदी जाएंगी

(ix) केवल नई मशीनें/उपकरण खरीदे जाएंगे।

(x) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(xi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: यूसी, मशीनों और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद 30%

ग) तीसरी किस्त: दूसरी किस्त की यूसी प्राप्त होने, उपकरण/मशीनों के चालू होने और निरीक्षण रिपोर्ट के बाद 10%।

2.3.4 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
हार्डवेयर (सीएडी) आदि सहित बेल प्रेस मशीन, परीक्षण उपकरण और डिजाइन सॉफ्टवेयर जैसे अन्य मशीनों/उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता **(आवंटन-**	*इकाई मूल्य:-* 130 *लाख* *पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- उपकरण/ मशीनें उपलब्ध कराने हेतु 4 परियोजनाएँ*	हार्डवेयर (सीएडी) सहित अन्य मशीनों/उपकरणों जैसे:- बेल प्रेस मशीन, परीक्षण उपकरण और सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत उपकरणों की संख्या	-	1	1	1	1	परीक्षण और गांठ निर्माण/डिजाइनिंग की सुविधा	बनाई गई गांठें/ किए गए परीक्षण /विकसित किए गए डिज़ाइनों की संख्या	•ऊन परीक्षण सुविधा •ऊन की बेलिंग द्वारा परिवहन लागत कम करें •प्रवृत्ति के अनुसार नये डिज़ाइन विकसित करने की

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
520 लाख रु.)											सुविधा

2.3.5. लाभार्थी-ऊन उत्पादक और राज्य सरकार के विभाग और ऊन उद्योग.

2.4. उप-घटक: ऊनी वस्तुओं (हथकरघा/कालीन करघे, बुनाई मशीनें, कताई चरखा आदि) के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता

2.4.1. उद्देश्य- भारत अपनी परंपरागत हस्तनिर्मित वस्तुओं के लिए जाना जाता है और इन वस्तुओं की मांग अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में अधिक है। इन वस्तुओं का विनिर्माण हथकरघा, कालीन बुनाई करघा, छोटी बुनाई मशीनें, कताई चरखा (हाथ से काते गए सूत के उत्पादन लिए) आदि जैसे छोटे उपकरणों पर किया जा रहा है। हालांकि, यह आय का एक स्रोत हो सकता है यदि प्रशिक्षित व्यक्ति के पास अपने स्वयं के उपकरण हों। तथापि, इन उपकरणों को गरीब व्यक्ति खरीने में असमर्थ है। भारत में एक बड़ी युवा आबादी है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई कौशल सृजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तथापि, कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद भी कई लोग छोटे उपकरणों की कमी के कारण उत्पाद नहीं बना पाते हैं। इस घटक के तहत, कच्चे ऊन के मूल्यवर्धन और घर पर पारंपरागत ऊनी उत्पादों के निर्माण के लिए संभावित क्षेत्रों में ऊनी बुनकरों/कारीगरों को हथकरघा/कालीन करघे, बुनाई मशीनें, कताई चरखा आदि प्रदान किए जाएंगे।

2.4.2. कार्यान्वयन एजेंसी:

क) केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार निगम/संघ.
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार विभाग/संगठन.
ग) केंद्रीय/केवीआईसी/राज्य खादी संस्थान

2.4.3. शर्तें:-

(i) परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय आईए को ऊन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला में उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना चाहिए और प्रस्तावित परियोजना पर परिणाम संकेतक भी प्रस्तुत करना चाहिए।
(ii) आईए सीडब्ल्यूडीबी के अनुदान से पूर्ण या आंशिक रूप से अर्जित की गई स्थायी और अर्ध स्थायी संपत्तियों के जीएफआर के निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर बनाएगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
(iii) आईए सभी लाभार्थियों का विवरण बनाएगा और सीडब्ल्यूडीबी को विवरण प्रदान करेगा।

(iv) योजना के तहत छोटे उपकरणों की खरीद के 07 वर्ष बाद स्वत: आईए/लाभार्थियों को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

(v) सभी उपकरण जीएफआर मानदंडों के अनुसार खरीदे जाएंगे

(vi) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(vii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(viii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: यूसी, मशीनों और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद 30%

ग) तीसरी किस्त: दूसरी किस्त की यूसी प्राप्त करने, छोटे उपकरणों के वितरण और निरीक्षण रिपोर्ट के बाद 10%।

2.4.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं-

उप-घटक/ आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
ऊनी वस्तुओं (हथकरघा/कालीन करघे, बुनाई मशीनें, कताई चरखा आदि) के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों के वितरण के लिए वित्तीय सहायता। **(आवंटन-250 लाख रुपए)**	*इकाई मूल्य:-* 0.50 *लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- मशीन/उपकरण उपलबध कराने हेतु* 500 *इकाइयां*	ऊनी वस्तुओं (हथकरघा/कालीन करघे, बुनाई मशीनें, कताई चरखा आदि) के निर्माण के लिए छोटे उपकरणों के वितरण के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत उपकरणों की संख्या	100	100	100	100	100	स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन	वितरित छोटे उपकरणों की संख्या	• समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके घर पर ही ऊनी उत्पाद बनाने की सुविधा

2.4.5. लाभार्थी- बुनकर, कारीगर, सहकारी समितियां, एसएचजी

3. घटक का नाम: <u>मानव संसाधन विकास एवं संवर्धनात्मक गतिविधियाँ (एचआरडी)</u>

3.1. उप-घटक: <u>ऊनी वस्तुओं का विनिर्माण/विविंग के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

3.1.1 उद्देश्य- भारतीय हथकरघा निर्मित ऊनी उत्पादों की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग है। इन पारंपरिक रूप से डिजाइन किए गए हथकरघा उत्पादों के विनिर्माण के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में देश में निर्यात गुणवत्ता वाली ऊनी हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए कुशल कामगारों की कमी है। इस घटक के तहत, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से

हथकरघा/कालीन बुनाई, बुनाई, अन्य ऊनी उत्पादों के निर्माण में कौशल उन्नयन और विकास में प्रशिक्षण प्रदान करना है। परियोजना में डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के साथ उत्पाद विकास और डिजाइन विकास के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

3.1.2. कार्यान्वयन एजेंसी

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/निगम/संघ
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार विभाग/संगठन
ग) केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश खादी संस्थान
घ) केंद्रीय/राज्य अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान

3.1.3. शर्तें:--

(i) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) अधिमानतः निम्न आय वर्ग/महिला/विकलांग वर्ग से उपयुक्त लाभार्थियों का चयन करेगी।
(ii) प्रत्येक प्रशिक्षण परियोजना में 3 महीने की अवधि के 4 बैच होंगे।
(iii) आई ए चयनित लाभार्थियों का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर, आधार नंबर, आयु, लिंग, फोटो आईडी, बैंक विवरण, श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एसटी/एसटी आदि) सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेगा।
(iv) प्रशिक्षुओं के दोहरेपन को रोकने की जिम्मेदारी आईए की होगी।
(v) आई.ए. नोडल अधिकारी का नाम उनके ई-मेल/संपर्क नंबर आदि के साथ प्रस्तुत करेगा।
(vi) आईए के पास प्रशिक्षण स्थल पर उपकरण, बिजली, पानी, बैठने की व्यवस्था, मूत्रालय आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
(vii) आईए प्रशिक्षक और कार्यालय सहायक का नाम उनके बैंक विवरण, फोटो आईडी, अनुभव, संपर्क नंबर/ई-मेल पता आदि के साथ जमा करेगा।
(viii) आईए लाभार्थियों की उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव करेगा।
(ix) आईए प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेगा।
(x) आईए जीएफआर नियमों के अनुसार कच्चे माल/मशीनरी आदि की खरीद करेगा और इन्वेंट्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि जैसे सभी रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा।
(xi) आईए प्रशिक्षुओं की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और आईए द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षक और कार्यालय सहायक की उपस्थिति को अधिप्रमाणित करेगा।
(xii) आईए लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
(xiii) आईए उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए लाभार्थियों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति, मानदेय ऑनलाइन वितरित करेगा।
(xiv) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 18 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।
(xv) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(xvi) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-
क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%
ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

3.1.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं:-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
III. मानव संसाधन विकास एवं संवर्धन गतिविधियाँ (कुल वित्तीय आवंटन रु . 3130 लाख)											
ऊनी वस्तुओं के निर्माण/बुनाई हेतु अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम **(आवंटन- रु . 150 लाख)**	*इकाई मूल्य:-* 15 लाख *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम*	ऊनी वस्तुओं के निर्माण/बुनाई के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	*स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या*	*2*	*2*	*3*	*2*	*1*	पूर्ण प्रशिक्षण परियोजनाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	• कुशल व्यक्तियों की उपलब्धता में वृद्धि • स्व-रोज़गार सृजन

3.1.5. ऊनी उत्पादों के निर्माण/बुनाई और बुनाई एवं डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र (डब्ल्यूडीटीसी) के लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के तहत विस्तृत प्रावधान :

क्र.सं.	गतिविधि	घटकों के अंतर्गत सहायता	केन्द्र की कुल परियोजना लागत
i)	प्रशिक्षुओं को वजीफा (15 व्यक्तियों को 3 महीने के लिए 125 रु. प्रति दिन के हिसाब से) रुपए . 125X30 दिन X3 माह X15 प्रशिक्षु = 1,68,750 रु. प्रति बैच: एक वर्ष में 4 बैच और एक वर्ष में कुल 60 प्रशिक्षु	प्रति बैच 1,68,750 रु.	(एक वर्ष में 4 बैच के लिए) 6,75,000 रु.
ii)	मास्टर प्रशिक्षक को मानदेय 25,000 रु. प्रति माह	प्रति बैच 75,000 रु.	(एक वर्ष में 4 बैच के लिए) 3,00,000 रु.
iii)	कार्यालय सहायक/परिचारक को मानदेय 15,000 रु. प्रति माह	प्रति बैच 45,000 रु.	(एक वर्ष में 4 बैच के लिए) 1,80,000 रु.
iv)	डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास और उत्पाद विविधीकरण तथा उपकरणों, कंप्यूटर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर आदि की खरीद के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए वास्तविक व्यय के आधार पर प्रति परियोजना 2.10 लाख रुपए तक की सहायता।	2,10,000 रु. एकमुश्त अनुदान	एकमुश्त अनुदान 2,10,000 रु.

क्र.सं.	गतिविधि	घटकों के अंतर्गत सहायता	केन्द्र की कुल परियोजना लागत
v)	वास्तविक व्यय के आधार पर कच्चे माल की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	प्रति बैच 33,750 रु.	1,35,000 रु.
	एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल लागत		15,00,000 रु.

3.1.6. लाभार्थी- ऊनी बुनकर, कारीगर।

3.2. उप-घटक: <u>औद्योगिक कामगारों के लिए ऑनसाइट प्रशिक्षण</u>:-

3.2.1. उद्देश्य- कई ऊनी उद्योग गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक वाली मशीनें स्थापित कर रहे हैं। इन मशीनों को संभालने के लिए मौजूदा कामगारों के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता है। इस घटक के तहत मौजूदा औद्योगिक कामगारों को गुणवत्तापूर्ण ऊनी उत्पाद तैयार करने के लिए इन उन्नत मशीनों को संभालने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

3.2.2. कार्यान्वयन एजेंसी: -

क) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार विभाग/संगठन
ख) केंद्रीय/राज्य अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान

3.2.3. शर्तें:-

(i) आईए उस उद्योग का विवरण (जैसे मशीनों के प्रकार, उत्पाद, उपलब्ध कामगरों की संख्या, आदि) प्रस्तुत करेगा जहां प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।
(ii) आईए द्वारा विधिवत प्रमाणित औद्योगिक कामगारों के प्रशिक्षुओं का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर, आधार नंबर, आयु, लिंग, फोटो आईडी, बैंक विवरण, श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एसटी/एसटी आदि) उपस्थिति प्रस्तुत की जाएगी।
(iii) आई.ए. अपने ई-मेल/संपर्क नंबर के साथ नोडल अधिकारी का नाम प्रस्तुत करेगा
(iv) प्रशिक्षुओं के दोहरेपन को रोकने की जिम्मेदारी आईए की होगी।
(v) आईए प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम का विवरण प्रस्तुत करेगा।
(vi) आईए प्रशिक्षुओं की **100%** उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षक की उपस्थिति को प्रमाणित करेगा
(vii) आई.ए. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी करेगा।
(viii) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के **12** महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।
(ix) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा **8** में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(x) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-
क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का **60%**
ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद **40%**

3.2.4. 5 **वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं:-**

उप-घटक/आवंटन	5वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	-21 22	-22 23	-23 24	-24 25	-25 26	आउटकम	संकेतक	
औद्योगिक श्रमिकों को ऑनसाइट प्रशिक्षण **)आवंटन -रु. 25 लाख(**	*इकाई मूल्य-:* 20 *प्रशिक्षुओं के लिए 5 लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य -: 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम*	*औद्योगिक श्रमिकों को ऑनसाइट प्रशिक्षण* प्रदान करने के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	*स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या*	1	1	1	1	1	पूर्ण प्रशिक्षण परियोजनाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	• बढ़ती हुई उत्पादकता • कुशल श्रम में वृद्धि

3.2.5. लाभार्थी- औद्योगिक कामगार

3.3 <u>शीप शियरिंग मशीन के लिए प्रशिक्षण</u>

3.3.1. उद्देश्य- हस्तचालित शियरिंग न केवल महंगी और समय लेने वाली है, बल्कि यह छोटी स्टेपल लंबाई के ऊनी वस्तुओं की गुणवत्ता को भी कम कर देती है। जबकि दूसरी ओर मशीन शियरिंग सस्ती और शीघ्रता से काम करने वाली होती है और इससे फाइबर की लंबाई में सुधार होता है। नई शीप शियरिंग मशीनों की उपलब्धता के बावजूद, मशीन को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित मशीन शियर्रस की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप मशीन शियरिंग के तहत भेड़ों का कवरेज कम है। देश में मशीन शियरिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए, शियरिंग मशीनों को संचालित करने के लिए पर्याप्त शीप शियरिंग व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। इस घटक के तहत मशीन शियरिंग पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

3.3.2. कार्यान्वयन एजेंसी:-

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/निगम/संघ
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

3.3.3. शर्तें

(i) आई.ए. उपयुक्त लाभार्थियों का चयन करेगी।
(ii) आई.ए. प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण जैसे प्रशिक्षण का स्थान, प्रशिक्षण स्थल पर उपलब्ध सुविधाएं, फोटो आईडी के साथ मास्टर ट्रेनर का नाम आदि प्रस्तुत करेगा।
(iii) आई.ए. प्रशिक्षण के लिए शियरिंग मशीनों, प्रशिक्षण प्रशिक्षक, भेड़/भेड़ समूह के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और उन्हें ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग के लिए जागरूक करेगा।

(iv) आई.ए. द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रशिक्षुओं का नाम, पूरा पता, संपर्क नंबर, आधार नंबर, आयु, लिंग, फोटो आईडी, बैंक विवरण, श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एसटी/एसटी आदि) उपस्थिति प्रस्तुत की जाएगी।

(v) आई.ए. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(vi) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(vii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(viii) अनुदान राशि निम्नलिखित प्रकार से जारी की जाएगी:-

क) प्रथम किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) द्वितीय किस्त: प्रथम किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

3.3.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं:-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26			
									आउटकम	संकेतक	
शीप शियरिंग मशीन के लिए प्रशिक्षण (**आवंटन-** 25 **लाख रु.**)	इकाई मूल्य :- 20 प्रशिक्षुओं के लिए 2.50 लाख। पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम	शीप शियरिंग मशीन के प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	2	2	2	2	2	पूरी की गई प्रशिक्षण परियोजनाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	बढ़े हुए प्रशिक्षत शियरर

3.3.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक।

3.4. उप-घटक: <u>अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) परियोजनाएं</u>

3.4.1. उद्देश्य- घटक का उद्देश्य नए उत्पादों के विकास और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के साथ मूल्यवर्धन के माध्यम से खराब ऊन के उपयोग की संभावनाओं को देखना है। ऊनी उद्योग को गुणवत्ता नियंत्रण की नियमित प्रणाली अपनाने में मदद करने, उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने, कच्ची सामग्री के चयन के संदर्भ में तकनीकी एवं समस्या निवारण सेवाएं प्रदान करने, विभिन्न समायोजन उपकरणों को नियंत्रित करने और उत्पादन की लागत को कम करने तथा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए देश में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। बोर्ड उत्पाद विविधीकरण, नई प्रक्रिया के विकास, उत्पादों, मशीनों के सुधार, खराब ऊन का उपयोग, नवीन उत्पादों का विकास, जैविक ऊन के लिए प्रमाणन प्रक्रिया, स्वदेशी ऊन का मानकीकरण, तकनीकी वस्त्रों में ऊन का उपयोग आदि के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखेगा।

3.4.2. कार्यान्वयन एजेंसी:-

क) केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार स्वायत्त/सांविधिक निकाय/अनुसंधान और विकास संस्थान। वस्त्र क्षेत्र से संबंधित परीक्षण, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के संचालन के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निकायों के रूप में वस्त्र अनुसंधान संघ (टीआरए)।

ख) राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय।

ग) केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारी विभाग/संगठन।

3.4.3. शर्तें:

(i) आई.ए. वित्तीय ब्रेकअप और समय अनुसूची के साथ आरएंडडी परियोजना के तहत प्रत्येक घटक के लिए सभी आवश्यक जानकारी/सांख्यिकी के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करेगा।

(ii) आई.ए. सीडब्ल्यूडीबी/वस्त्र मंत्रालय की सहमति के बिना उद्योग के साथ विकसित प्रौद्योगिकी, उत्पादों, प्रक्रिया आदि का प्रसार नहीं करेगा। विकसित उत्पाद/प्रौद्योगिकी/ प्रक्रिया सीडब्ल्यूडीबी की संपत्ति होगी।

(iii) सूचना और पेटेंट, यदि कोई हो, के गैर-प्रकटीकरण के लिए सीडब्ल्यूडीबी के साथ एमओयू अनिवार्य होगा।

(iv) आई.ए. व्यावसायीकरण के लिए उद्योग गठबंधन सुनिश्चित करेगा।

(v) परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति सीडब्ल्यूडीबी की संपत्ति होगी और आई.ए. सीडब्ल्यूडीबी की अनुमति के बिना निपटान नहीं करेगा।

(vi) एएमसी के लिए सीओएसटी और मशीनों के रखरखाव को आवर्ती लागत के साथ क्रि. ए. द्वारा वहन किया जाएगा।

(vii) जीएफआर के अनुसार सभी मशीनों, कच्चे माल की खरीद की जाएगी।

(viii) समय अवधि- परियोजना को पहली किस्त जारी होने से 24 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा।

(ix) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 के सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(x) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: यूसी, मशीनों और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद 30%

ग) तीसरी किस्त: दूसरी किस्त की यूसी, संयंत्र/मशीनों के चालू होने, निरीक्षण रिपोर्ट और अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 10%।

3.4.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं:-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26			
									आउटकम	संकेतक	

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22 - 23	23 - 24	24 - 25	25 - 26			
									आउटकम	संकेतक	
उत्पाद विकास/प्रक्रिया संशोधन/ऊन की ब्रांडिंग और लेबलिंग/विविधीकरण या प्रक्रिया संशोधन, नवीन उत्पादों का विकास और डेक्कानी ऊन का बेहतर उपयोग, जैविक ऊन के लिए प्रमाणन प्रक्रिया, स्वदेशी ऊन का मानकीकरण, जियो-टैगिंग के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और तकनीकी वस्त्र आदि में ऊन का उपयोग। (आवंटन- रु. 500 लाख)	पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 4 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ	अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृत सहायता	स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की संख्या	1	1	1	1	-	पूर्ण की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजना की संख्या	विकसित उत्पाद/प्रक्रिया की संख्या/प्रयुक्त ऊन की मात्रा	स्वदेशी ऊन का बेहतर उपयोग दक्कनी ऊन उत्पादकों की आय में वृद्धि

3.4.5. लाभार्थी- ऊनी उद्योग/हितधारक।

3.5. उप-घटक: <u>अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सहयोग हितधारकों की बैठक/सम्मेलन</u>:-

3.5.1. उद्देश्य- ऊन के घरेलू हितधारकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क उन्हें ऊन गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्य हेतु एक कदम होगा। ज्ञान के आदान-प्रदान, नई तकनीकों को अपनाने, उत्पाद निर्माण प्रक्रिया आदि के लिए सीडब्ल्यूडीबी या सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियां ऊन क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेंगी।

3.5.2. कार्यान्वयन एजेंसी:-

क) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड

ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

3.5.3. शर्तें:-

(i) आई.ए. प्रत्येक घटकों के वित्तीय ब्रेकअप का विवरण प्रस्तुत करेगी जैसे सम्मेलन आयोजित करने के लिए दिनों की संख्या, प्रतिभागियों / हितधारकों की संख्या, सम्मेलन हॉल के शुल्क, भोजन, फोटोग्राफी और ऑडियो/वीडियो/बैनर/होर्डिंग, स्टेशनरी, घरेलू सम्मेलन के लिए यातायात सुविधा।

(ii) निधियों का उपयोग ऊन क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी अर्थात भागीदारी शुल्क आदि के लिए किया जाएगा।

(iii) आई.ए. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक के आयोजन के लिए वित्तीय विवरण के साथ-साथ प्रतिभागियों/हितधारकों की संख्या, उनके नाम और पद, पता, टीए/डीए आदि के साथ प्रत्येक घटक का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(iv) टीए/डीए/अन्य भत्ते सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार देय होंगे।

(v) आई.ए. अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/बैठक/सहयोग/प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए संबंधित देश/विभाग से सहमति/दस्तावेज प्राप्त करेगी।

(vi) आई.ए. सम्मेलन/बैठकों की सिफारिश/परिणाम तैयार करेगी और सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेगी।

(vii) परिणाम/यात्रा रिपोर्ट वस्त्र मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी और तकनीकी समिति के समक्ष रखी जाएगी।

(viii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(ix) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की स्वीकृती के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी, निरीक्षण रिपोर्ट और परिणाम रिपोर्ट जमा करने के बाद 40%।

3.5.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं:-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सहयोग हितधारकों की बैठकें/सम्मेलन (आवंटन- 50 लाख)	इकाई मूल्य:- 5 लाख पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 10 अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सहयोग/हितधारकों की बैठकें/सम्मेलन	अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू सहयोग संगठन के हितधारकों की बैठकों/सम्मेलन के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	2	2	2	2	2	ज्ञान का आदान-प्रदान और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ऊनी वस्त्रों का	आयोजित हितधारकों की बैठकों/सम्मेलनों की संख्या	बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन और नवीनतम वैश्विक प्रौद्योगिकी के

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
	आदि।								विकास		उपयोग के लिए ज्ञान में वृद्धि

3.5.5. लाभार्थी- सीडब्ल्यूडीबी/एमओटी/ऊन उद्योग।

3.6. उप-घटक: <u>सेमिनार/कार्यशाला/भेड़ मेला, मेला, बैठकों का आयोजन</u>

3.6.1. उद्देश्य- ऊन उद्योग के मुद्दों को एकत्र करने, चर्चा करने और समाधानों को अंतिम रूप देने और ऊन क्षेत्र की योजनाओं को तदनुसार संशोधित करने के लिए उचित मंच पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इस घटक के तहत, सीडब्ल्यूडीबी ऊन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों को सेमिनार/कार्यशाला/मेले आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और हितधारकों को शामिल करते हुए ऊन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं पर संबंधित कर्मियों/उद्योग/संस्थाओं/संगठनों तक समाधान का प्रसार करना भी है।

3.6.2. कार्यान्वयन एजेंसी:-

क) पशु/भेड़ पालन विभाग।
ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/कोर/संघ
ग) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन
घ) केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय

3.6.3. शर्तें

(i) आई.ए. कार्यशाला/सेमिनार/बैठक/भेड़ मेले के आयोजन के लिए घटकवार वित्तीय विवरण जैसे सेमिनार/सम्मेलन हॉल का किराया, प्रतिभागियों की संख्या, स्थान और आयोजन स्थल, आवास, बैनर, होर्डिंग, स्टेशनरी, भोजन, परिवहन का विवरण फ़ोटोग्राफ़ी/ऑडियो/वीडियो आदि प्रस्तुत करेगा।
(ii) टीए/डीए सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार देय होगा।
(iii) आई.ए. सीडब्ल्यूडीबी के परामर्श से प्रतिभागियों की सूची को अंतिम रूप देगा।
(iv) आई.ए. बैठकों की सिफारिश/परिणाम तैयार करेगा और सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेगा
(v) परिणाम रिपोर्ट वस्त्र को प्रस्तुत की जाएगी और तकनीकी समिति के समक्ष रखी जाएगी।
(vi) समय अवधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 6 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।
(vii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(viii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी, निरीक्षण रिपोर्ट और परिणाम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद 40%।

3.6.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं:-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
सेमिनार/कार्यशाला/भेड़ मेला, मेला, बैठक का आयोजन करना (आवंटन- रु. 50 लाख)	इकाई मूल्य:- 5 लाख पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 10 कार्यक्रम	सेमिनार/कार्यशाला/भेड़ मेला, मेला, बैठक के आयोजन के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत सेमिनार/कार्यशाला/भेड़ मेला, मेला, बैठक की संख्या	2	2	2	2	2	आयोजन के माध्यम से ज्ञान का आदान-प्रदान	आयोजित मेलों/कार्यशाला/सेमिनार मेला/बैठक की संख्या	विकसित प्रौद्योगिकी का प्रसार

3.6.5. लाभार्थी- ऊनी उद्योग, ऊन उत्पादक।

3.7. उप-घटक: ऊन सर्वेक्षण, ऊन क्षेत्र पर अध्ययन

3.7.1. उद्देश्य - ऊन क्षेत्र की प्रोफ़ाइल में ऊन विकास और विनिर्माण अवसंरचना दोनों के संबंध में उपलब्ध जानकारी और सांख्यिकीय डेटा के संबंध में एक बड़ा अंतर है। देश में सरकारी अथवा संस्थागत स्तर पर व्यापार, आयात, निर्यात, उत्पादन, खपत, कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती और तैयार सामग्री, ऊन क्षेत्र के विभिन्न खंडों में इकाइयों की संख्या पर समेकित आंकड़ों और जानकारी के प्रवाह को बनाए रखना और निगरानी करने के लिए कोई केंद्रीय बिंदु नहीं है। ऊन क्षेत्र के खंड. ऊन की वृद्धि, ग्रेडिंग, कतरनी और ऊन के विपणन के संबंध में आंकड़ों का अभाव है। इसके अलावा ऊन उगाने और प्रसंस्करण क्षेत्रों में उपलब्ध सुविधाओं और उनकी आगे की आवश्यकताओं के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें ऊन फाइबर उत्पादन, उत्पादन पर उद्योग डेटा, खराब, ऊनी, सोडी, हथकरघा, पावरलूम, बुनाई और खादी क्षेत्र, आदि, में बड़े और छोटे उद्यमिता पर खपत डेटा के संबंध में समय-समय पर सूचना का नियमित प्रवाह स्थापित, बनाए रखा और विनियमित किया जाए। इस घटक में संपूर्ण ऊन उत्पादक राज्यों के ऊन सर्वेक्षण की आवश्यकता है।

3.7.2. कार्यान्वयन एजेंसी:-

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/कोर/संघ

ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

ग) राज्य/केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय

घ) सर्वेक्षण/अध्ययन के क्षेत्र में कोई विशेष एजेंसी

3.7.3. शर्तें

(i) आई.ए. डीपीआर (घटकवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य, प्रश्नावली की अनुसूची, ऊन उत्पादक राज्य/ऊन उद्योग, समय अनुसूची) प्रस्तुत करेगा।

(ii) आई.ए. उप-घटकवार वित्तीय आवश्यकता का उल्लेख करेगा।

(iii) आई.ए. देश में ऊन क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशों के साथ सीडब्ल्यूडीबी को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(iv) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 24 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(v) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(vi) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी प्राप्त करने और सर्वेक्षण रिपोर्ट जमा करने के बाद 40%।

3.7.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं:-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
ऊन सर्वेक्षण, ऊन क्षेत्र पर अध्ययन **(आवंटन- रु. 150 लाख)**	पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- 2 सर्वेक्षण/अध्ययन	ऊन सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता, ऊन क्षेत्र पर अध्ययन को मंजूरी	स्वीकृत ऊन सर्वेक्षण की संख्या, अध्ययन		1	1			अद्यतन आंकड़ों की उपलब्धता	ऊन सर्वेक्षण की संख्या, अध्ययन आयोजित किया गया	क्षेत्र से तथ्यात्मक डेटा का संग्रह.

3.7.5. लाभार्थी- ऊन क्षेत्र/हितधारक/उद्योग से सम्बद्ध व्यक्ति

3.8. उप-घटक: <u>बीकानेर (राजस्थान) में मौजूदा ऊन परीक्षण केंद्र का संचालन जिसमें कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में लैब और डब्ल्यूडीटीसी/आईएससी का उन्नयन शामिल है।</u>

3.8.1. उद्देश्य- सीडब्ल्यूडीबी, वस्त्र मंत्रालय द्वारा बीकानेर में एक ऊन परीक्षण प्रयोगशाला संचालित की जा रही है जो ऊन उत्पादकों, बुनकरों, ऊन उद्योगपतियों, उपयोगकर्ताओं, निर्यातकों आदि को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करती है। सीडब्ल्यूडीबी का उद्देश्य अगामी पांच वर्षों के दौरान मौजूदा परीक्षण सुविधाओं को जारी रखने, और मजबूत करने और उन्नत करने का है। इसके अलावा, पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में ऊनी हथकरघा उत्पादन गतिविधियों में कार्यरत कर्मियों/बुनकरों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कुल्लू (हि.प्र.) में एक बुनाई और डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक सेवा केंद्र संचालित किया जा रहा है। उन्हें ऊनी वस्त्रों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से हथकरघा बुनाई के नवीनतम डिजाइनों में प्रशिक्षित किया जाएगा। बोर्ड का उद्देश्य प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि और विविध मशीनरी की स्थापना के माध्यम से केंद्र के उन्नयन के साथ अगले पांच वर्षों के दौरान इस गतिविधि को जारी रखना है।

3.8.2. कार्यान्वयन एजेंसी:-

क) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी)

ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

3.8.2. स्थितियाँ:-

(i) सीडब्ल्यूडीबी डब्ल्यूआरए/टेक्सटाइल कमेटी/सीएसडब्ल्यूआरआई/वूल इंडस्ट्री एसोसिएशन/सीईपीसी /आईडब्ल्यूएमएफ/डीआईसी और ऊन के अन्य हितधारकों के परामर्श से बीकानेर और कुल्लू में प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए एक विस्तृत डीपीआर तैयार करेगा।

(ii) सीडब्ल्यूडीबी किसी विशेष संगठन के माध्यम से प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए परियोजना शुरू कर सकता है।

(iii) कार्यकारी निदेशक, सीडब्ल्यूडीबी इस उद्देश्य के लिए आवंटित बजट प्रावधानों की सीमा के भीतर बीकानेर और कुल्लू में बोर्ड के अपने शाखा केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए किराया, बिजली और पानी, टेलीफोन, वजीफा, मानदेयता, स्टेशनरी, रसायन, कच्चे माल (यार्न), करों जैसे आकस्मिक और वैधानिक बकाया राशि व्यय सकते हैं और तकनीकी समिति की अगली/बाद की बैठक से पहले कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रखेंगे।

3.8.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक निम्नानुसार है:-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
बीकानेर में मौजूदा ऊन	पांच वर्षों के	कुल्लू के हथकरघा केंद्र	संचालित केंद्रों की	2	2	2	2	2	प्रशिक्षित व्यक्तियों	प्रशिक्षित व्यक्तियों	• स्व-रोज़गार

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
परीक्षण प्रयोगशाला का संचालन जिसमें प्रयोगशाला का उन्नयन और कुल्लू में बुनाई और डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र और आईएससी/ऊन इनोवेशन सेंटर खोलना शामिल है। **(आवंटन- 348 लाख रु.)**	लिए लक्ष्य:- सीडब्ल्यूडीबी/एमओटी के स्वयं के 2 प्रचालनशील केंद्रों का संचालन	में ऊनी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण और बीकानेर केंद्र में ऊन के नमूनों का परीक्षण प्रदान करना	संख्या						की संख्या और परीक्षण किये गये ऊन के नमूनों की संख्या	की संख्या और परीक्षण किये गये ऊन के नमूनों की संख्या	का सृजन • ऊनी उद्योग के लिए परीक्षण सुविधा

3.8.5. लाभार्थी- ऊन उत्पादक, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों के ऊनी उद्योग, बुनकर, खादी संस्थाएं, और कुल्लू और आसपास के जिलों के बुनकर और अन्य व्यक्ति, वूलन कॉ-ऑप. सोसा.

3.9. उप-घटक: योजना का प्रचार, परियोजनाओं की निगरानी, दौरा, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन और स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम

3.9.1. उद्देश्य - ऊन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के संबंध में उपघटक जागरूकता कार्यक्रमों के तहत ऊन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कार्यों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए अभियान चलाया जायेगा। साथ ही योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी तीसरे पक्ष द्वारा आईडब्ल्यूडीपी योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन भी आयोजित किया जाएगा।

3.9.2. कार्यान्वयन एजेंसी: -

क) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/निगम/संघ
ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन
ग) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड
घ) आईडब्ल्यूडीपी के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए कोई विशेष एजेंसी।

3.9.3. शर्तें:-

(i) गतिविधियों के तहत किए गए सभी व्यय जीएफआर के अनुसार होंगे।
(ii) समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन डीएवीपी दरों पर होगा।

(iii) आईए प्रचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकता है जैसे - प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, बैनर, होर्डिंग्स, पैम्फलेट आदि।

(iv) मूल्यांकन एजेंसी मौजूदा योजनाओं में संशोधन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

(v) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 12 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(vi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(vii) अनुदान राशि निम्नानुसार जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त : परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

3.9.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट/परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं :-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
योजनाओं का प्रचार, स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम, परियोजनाओं की निगरानी, दौरे, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन आदि। **(आवंटन- 150 लाख)**	इकाई मूल्य :- 10 लाख पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- प्रचार-प्रसार की 10 परियोजनाएँ। एक मूल्यांकन परियोजना (25 लाख रु.)	योजनाओं के प्रचार-प्रसार, स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम, परियोजनाओं की निगरानी, दौरों, परियोजनाओं/योजनाओं के मूल्यांकन आदि के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत जागरूकता कार्यक्रम, मूल्यांकन की संख्या	2	2	2	3	2	जागरूकता कार्यक्रम की संख्या, मूल्यांकन पूर्ण	मौजूदा योजनाओं में कमियों को दूर करने और भविष्य में सुधार के लिए एक टूल।	ऊन क्षेत्र की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ी है।

3.9.5. लाभार्थी- ऊन क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति/हितधारक

4. घटक का नाम: <u>पश्मीना ऊन विकास योजना (पीडब्ल्यूडीएस)</u>

4.1 उप-घटक का नाम: <u>पश्मीना ऊन विपणन के लिए रिवोलविंग निधि (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए)</u>

4.1.1. उद्देश्य- उप-घटक का उद्देश्य बिचौलियों द्वारा शोषण को रोकने के लिए पशमीना उत्पादकों से सीधे निर्धारित मूल्य पर कच्ची पशमीना ऊन खरीदना है। घटक के क्रियान्वयन से पशमीना उत्पाद निर्माताओं को पूरे वर्ष सस्ती दर पर कच्ची पशमीना ऊन की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

4.1.2. क्रियान्वयन एजेंसियां-

क) पशु/भेड़/उद्योग विभाग और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर/केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की कोई अन्य सरकारी एजेंसी

ख) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारी निगम/संघ

4.1.3. शर्तें-

(i) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) प्रजनकों या उनकी सोसायटी/एसएचजी/समूहों से सीधे पश्मीना ऊन खरीदेगी।

(ii) कच्ची ऊन का खरीद मूल्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग से अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) लाभार्थियों को भुगतान ऑनलाइन ट्रांसफर/चेक/डीडी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित करके किया जाएगा

(iv) कार्यान्वयन एजेंसी को सभी लाभार्थियों का उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, पैन कार्ड (यदि लागू हो), मोबाइल नंबर और उनकी श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) / बीपीएल। /ओबीसी/महिला आदि यदि परियोजना के तहत लागू हो तो सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेंगे।

(v) क्रियानवयन एजेंसी योजना के तहत क्रियान्वित प्रमुख गतिविधियों के साक्ष्य (फोटो/वीडियो रिकॉर्डिंग) रखेगी।

(vi) आईए रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रदान किए गए अनुदान से कोई वित्तीय हानि दर्ज नहीं करेगा।

(vii) आईए सीडब्ल्यूडीबी को भौतिक रिपोर्ट के साथ डिजिटल रूप में सभी लाभार्थियों का विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा।

(viii) आईए खरीदी गई ऊन की मात्रा, ऊन उत्पादकों की सूची जिनसे ऊन खरीदा गया, ऊन की खरीद दर, ऊन बिक्री विवरण और तिमाही आधार पर उपयोग किए गए अनुदान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ix) आईए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके पास गतिविधि शुरू करने के लिए आवश्यक अवसंरचना है।

(x) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने पर रिवॉल्विंग निधि के सापेक्ष ब्याज सीडब्ल्यूडीबी को जमा किया जाएगा।

(xi) 18 महीने से अधिक समय तक रिवॉल्विंग फंड का उपयोग न करने की स्थिति में, कार्यान्वयन एजेंसी सीडब्ल्यूडीबी को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार दंडात्मक ब्याज के साथ पूरी अनुदान राशि वापस कर देगी। आईए को सीडब्ल्यूडीबी को औचित्य के साथ रिवॉल्विंग फंड जारी करने के लिए आगे की आवश्यकता के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(xii) यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार किसी वित्तीय वर्ष में ऊन की कीमत तय करने में असफल रहती है और ऊन की कोई खरीद नहीं की जाती है, तो रिवॉल्विंग फंड सीडब्ल्यूडीबी

को वापस कर दिया जाएगा और रिवॉल्विंग फंड की आवश्यकता के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।

(xiii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xiv) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त : परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

4.1.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक निम्नानुसार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
पश्मीना ऊन विपणन के लिए परिक्रामी निधि (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के लिए) **(आवंटन-400 लाख)**	इकाई मूल्य:- 200 लाख पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- रिवॉल्विंग फंड की 2 परियोजनाएं	पश्मीना ऊन विपणन के लिए रिवॉल्विंग निधि (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के लिए))	स्वीकृत परिक्रामी परियोजनाओं की संख्या	-	1	-	-	1	पशमीना खानाबदोशों से सीधे पशमीना ऊन की खरीद	किलोग्राम पश्मीना ऊन खरीदा गया और कई खानाबदोश लाभान्वित हुए	पश्मीना उत्पादकों/खानाबदोशों के लिए बेहतर वापसी

4.1.5. लाभार्थी- पश्मीना खानाबदोश, **पश्मीना उत्पादक समाज, पश्मीना उत्पादकों का एसएचजी।**

4.2. उप-घटक का नाम: <u>भवन निर्माण सहित पश्मीना ऊन प्रसंस्करण (सीएफसी) के लिए मशीनों की स्थापना।</u>

4.2.1. उद्देश्य - वर्तमान में, लेह में केवल स्कोअरिंग और डीहेयरिंग गतिविधियाँ मौजूद हैं और डीहेयरिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक स्कोअरिंग और डीहेयरिंग संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आगे भी अग्रसर होने और लेह को पश्मीना उत्पादों के विनिर्माण का केंद्र बनाने की भी आवश्यक्ता है। इसके लिए कताई, रंगाई, पश्मीना उत्पाद निर्माण मशीनों (बुनाई, बुनाई, हथकरघा) और भवन निर्माण के प्रावधान सहित पश्मीना उत्पादों के लिए फिनिशिंग मशीनों के अलावा पश्मीना ऊन प्रसंस्करण मशीनों के लिए सीएफसी स्थापित करने की आवश्यकता है। नई मशीनें

स्थानीय आबादी को पशमीना उत्पाद बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण पशमीना यार्न की उपलब्धता और पशमीना उत्पादों की फिनिशिंग/रंगाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगी।

4.2.2. कार्यान्वयन एजेंसियां-

(क) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर/केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पशु/भेड़/उद्योग विभाग और कोई कोई अन्य सरकारी ऐजेंसी

(ख) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार निगम/संघ

(ग) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान।

4.2.3. शर्तें-

(i) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के पास या तो परियोजना प्रस्तुत करने से पहले भूमि (लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड) होनी चाहिए या एजेंसी को परियोजना की मंजूरी के बाद भूमि की व्यवस्था (खरीद/पट्टे पर लेना) करनी होगी और परियोजना मंजूरी के बाद और यदि आवश्यक हो तो, भवन निर्माण के लिए धन जारी करने से पहले स्पष्ट मालिकाना दस्तावेज जमा करना होगा।

(ii) केंद्रीय/राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आईए अनुबंध/पट्टे के आधार पर परियोजनाओं को क्रियान्वित/चला सकते हैं। तथापि, परियोजना कार्यान्वयन के लिए धनराशि केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार एजेंसी को जारी की जाएगी जो इसके लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रदान करेगी।

(iii) आईए सीडब्ल्यूडीबी के अनुदान से पूरी तरह या आंशिक रूप से अर्जित की गई स्थायी और अर्ध स्थायी संपत्तियों के जीएफआर के निर्धारित फॉर्म में एक रजिस्टर बनाए रखेगा और बोर्ड को जमा करेगा।

(iv) परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय आईए को ऊन क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए मूल्य श्रृंखला में उचित बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करना चाहिए और प्रस्तावित परियोजना पर परिणाम संकेतक भी प्रस्तुत करना चाहिए।

(v) यदि किसी सरकार द्वारा आवश्यकता हो तो परियोजना प्रस्ताव का पुनरीक्षण सीडब्ल्यूडीबी द्वारा तय की गई किसी सरकारी एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। तकनीकी जांच के बाद, आगे विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्ताव को टी.सी. एवं ई.सी. के समक्ष रखा जाएगा।

(vi) सीडब्ल्यूडीबी केवल मशीनरी की खरीद और मशीनरी के लिए भवन निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का आवर्ती व्यय आई.ए. द्वारा वहन किया जायेगा।

(vii) आईए सीडब्ल्यूडीबी के अनुदान से पूरी तरह या आंशिक रूप से अर्जित स्थायी और अर्ध स्थायी संपत्तियों का जीएफआर के निर्धारित फॉर्म में एक रजिस्टर बनाए रखेगा और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद बोर्ड को जमा करेगा।

(viii) आईए सीएफसी के लिए सभी उपकरण/मशीनरी/भवन के रखरखाव की लागत वहन करेगा।

(ix) सीएफसी मशीनरी की संस्थापना से संबंधित निर्माण लागत स्वीकृत अनुदान के 25% से अधिक नहीं होगी और आईए भवन का रखरखाव करेगा। भवन का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जायेगा।

(x) सभी उपकरणों को चालू हालत में रखना आईए की जिम्मेदारी होगी।

(xi) योजना के तहत स्थापित मशीनरी/संयंत्र के चालू होने के 7 वर्षों के बाद आईए को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

(xii) सभी मशीनें जीएफआर मानदंडों के अनुसार खरीदी जाएंगी।

(xiii) केवल नई मशीनें खरीदी जाएंगी।

(xiv) आईए प्रसंस्कृत ऊन की मात्रा, लाभार्थियों को प्रदान की गई प्रसंस्करण सुविधाओं का विवरण और मासिक/त्रैमासिक आधार पर लिए गए प्रसंस्करण शुल्क का विवरण सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत करेगा।

(xv) समयावधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 24 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी।

(xvi) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xvii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: यूसी, संयंत्र/मशीन और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद 30%

ग) तीसरी किस्त: दूसरी किस्त की यूसी, निरीक्षण रिपोर्ट और संयंत्र/मशीनों के चालू होने के बाद 10%।

4.2.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उपघटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आऊटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आऊटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आऊटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
पश्मीना ऊन प्रसंस्करण के लिए मशीनों की स्थापना जैसे- कताई, रंगाई, बुनाई, परिष्करण, उत्पाद निर्माण, (बुना/बुना हुआ) भवन निर्माण सहित (आवंटन- 550 *लाख)*	इकाई मूल्य:- 550 लाख पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- पश्मीना ऊन प्रसंस्करण के लिए मशीनों की स्थापना के लिए एक सीएफसी	पश्मीना प्रसंस्करण के लिए सीएफसी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	स्वीकृत सीएफसी की संख्या	-	1	-	-	-	स्थापित सीएफसी की संख्या	सीएफसी में संसाधित पश्मीना ऊन किलोग्राम	• पश्मीना ऊन प्रसंस्करण की उपलब्धता • स्थानीय कारीगरों द्वारा मूल्य संवर्धन

4.2.5. लाभार्थी- पश्मीना बुनकर/कारीगर, उद्योग, सहकारी समितियां, एसएचजी।

4.3. पश्मीना बकरी के लिए गार्ड रूम सहित आश्रय शेड का निर्माण।

4.3.1. उद्देश्य- यद्यपि लद्दाख के पशुपालक बेहतरीन फाइबर का उत्पादन करते हैं, फिर भी वे दयनीय जीवन जीते हैं। सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक आवास पुराना बना हुआ है। प्रतिकूल जीवन स्थितियों के कारण, एक बार शिक्षित होने के बाद युवा पीढ़ी पश्मीना के बढ़ते व्यापार की ओर कभी नहीं लौटती। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व भारी बर्फबारी होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी भेड़-बकरियां मर जाती हैं। यह प्रवृत्ति लद्दाख के पशुपालकों के साथ-साथ बुनकरों, स्पिनर्स और कारीगरों की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चूंकि आवास ग्रामीण गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन की नींव रखता है, इस घटक के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके परियोजना के तहत खानाबदोशों की रहने की स्थिति और पशमीना बकरियों के आवास में सुधार के लिए गार्ड रूम के साथ आश्रय शेड का निर्माण किया जाएगा।

4.3.2. कार्यान्वयन एजेंसियां

क) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का पशु/भेड़/उद्योग विभाग और कोई अन्य सरकारी एजेंसी
ख) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार निगम/संघ

4.3.3. शर्तें-

(i) गार्ड रूम के साथ शेल्टर शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लक्षित समूह लद्दाख क्षेत्र के लेह और कारगिल क्षेत्र के गरीब पश्मीना ऊन उत्पादक/किसान होंगे।

(ii) गार्ड रूम के साथ शेल्टर शेड का निर्माण लद्दाख के एलएएचडीसी/यूटी के लाभार्थियों स्वयं/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आदि के द्वारा किया जा सकता है।

(iii) आईए लाभार्थियों; गार्ड रूम के साथ शेल्टर शेड के स्थान का चयन करेगा और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद स्थानों के साथ लाभार्थियों के विवरण के साथ सीडब्ल्यूडीबी को सूची प्रस्तुत करेगा।

(iv) लाभार्थियों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रमुख स्थान पर या जिला भेड़पालन कार्यालय/एलएएचडीसी/लोक कार्य विभाग, लेह और कारगिल जैसे संबंधित विभाग के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(v) सूची संबंधित विभाग द्वारा वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

(vi) लाभार्थियों को संबंधित विभागों के परामर्श से एलएएचडीसी, लेह और कारगिल द्वारा प्रदान किए गए ड्राइंग/मानचित्र और डिजाइन के अनुसार गार्ड रूम के साथ शेल्टर शेड का निर्माण करना होगा।

(vii) यूनिट का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए और किश्तों में धनराशि हस्तांतरित करने के लिए उसके बैंक खाते का विवरण प्रदान करना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, इसे पति और पत्नी दोनों के नाम पर आवंटित किया जा सकता है।

तथापि, यदि परिवार में कोई पात्र महिला सदस्य उपलब्ध/जीवित नहीं है, तो योग्य लाभार्थी के पुरुष सदस्य को भी सहायता आवंटित की जा सकती है।

(viii) आईए निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार किश्तों में सीधे संबंधित लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित करेगा।

(ix) आईए उनकी इकाई के सामने संबंधित लाभार्थी की फोटो के साथ साइट की तस्वीरें/वीडियो क्लिपिंग रखकर निर्माण कार्यों की प्रगति का साक्ष्य रखेगा और उसी उद्देश्य के लिए अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करेगा।

(x) आईए के पास परियोजना के तहत निर्मित इकाई की पूरी सूची होगी, जिसमें लाभार्थी का विवरण, गांव और ब्लॉक का नाम जिसमें घर स्थित है, समूह का आकार (पशमीना बकरी) और लाभार्थियों की श्रेणी (एससी/ एसटी/बीपीएल) और सीडब्ल्यूडीबी को अन्य प्रासंगिक विवरण होगा।

(xi) समयावधि - गार्ड रूम सहित सभी आश्रय शेड योजना अवधि के भीतर पूरे किये जायेंगे।

(xii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xiii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

4.3.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उपघटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य एवं लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
पश्मीना बकरी के लिए गार्ड रूम सहित आश्रय शेड का निर्माण। (आवंटन- रु. 625 लाख)	*इकाई मूल्य:-* 2.50 *लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- गार्ड रूम के साथ* 250 *आश्रय शेड*	पश्मीना बकरी के लिए गार्ड रूम के साथ आश्रय शेड के निर्माण के लिए स्वीकृत वितीय सहायता	गार्ड रूम सहित आश्रय शेड की स्वीकृत संख्या	100	40	40	40	30	आवास सुविधा का निर्माण एवं पश्मीना बकरियों की सुरक्षा।	लाभान्वित नोमेड परिवारों की संख्या	नोमेडस और पशमीना बकरियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में वृद्धि, कठोर मौसम से पशमीना खानाबदोशों की सुरक्षा

4.3.5. लाभार्थी – पश्मीना नोमेडस और पश्मीना बकरी

4.4 उप-घटक : उपकरणों सहित पोर्टेबिल टेंट का वितरण

4.4.1. उद्देश्य-लद्दाख में पशुपालक अपने समूहों के लिए उपयुक्त चारागाह की तलाश में पूरे वर्ष प्रवास करते हैं और कुछ विशिष्ट स्थानों पर लंबे समय तक रुकते हैं। प्रवास के दौरान उन्हें भीषण सर्दी और बर्फबारी जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। वे ज्यादातर याक वूल टेंट (रेबो) में रहते हैं जो भारी बर्फबारी के दौरान उपयुक्त नहीं होते हैं। पिछली योजना के दौरान, खानाबदोशों को उनकी प्रवासन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पोर्टेबल टेंट, सोलर टॉर्च और स्नो बूट जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए गए थे। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में प्रजनक इस योजना के दायरे से बाहर हैं, जिन्हें कवर करने की जरूरत है।

4.4.2. कार्यान्वयन एजेंसी

क) केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का पशु/भेड़/उद्योग विभाग और कोई अन्य सरकारी एजेंसी
ख) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार निगम/संघ

4.4.3. शर्तें-

(i) कार्यान्वयन एजेंसी टेंट और अन्य वस्तुओं के लिए विशिष्टताओं (डिजाइन, सामग्री, क्षेत्र) को अंतिम रूप देगी।
(ii) आवश्यक विशिष्टताओं के साथ वस्तुओं के लिए निविदा आईए द्वारा जारी की जाएगी और जीएफआर के अनुसार खरीद की जाएगी।
(iii) नामेडस परिवारों का चयन स्थानों के साथ स्थानीय प्रशासन के परामर्श से किया जाएगा।
(iv) लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया के दौरान प्रवास की वार्षिक अवधि और परिवार के कुल पशुधन के साथ-साथ एक वर्ष में दौरा किए गए चरागाहों की संख्या को ध्यान में रखा जाएगा।
(v) औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और ब्लॉक कार्यालयों को सूचित किया जाएगा और विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों जन प्रतिनिधियों की शॉर्टलिस्ट किए गए लाभार्थियों को अधिसूचित करने के बाद अंतिम वितरण प्रक्रिया को निष्पादित करेगी।
(vi) लाभार्थियों के चयन और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद, आधार संख्या, फोटो आईडी जैसे उनके विवरण के साथ लाभार्थियों की सूची के साथ घटक के लिए सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।
(vii) समय अवधि - सभी पोर्टेबल टेंट योजना अवधि के भीतर वितरित किए जाएंगे।
(viii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।
(ix) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-
क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%
ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

4.4.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आऊटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
सामान सहित पोर्टेबल टेंट का वितरण। (आवंटन- 250 लाख)	*यूनिट कीमत:-* 0.50 *लाख पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- पोर्टेबल टैंट की* 500 *यूनिट*	सहायक उपकरणों के साथ पोर्टेबल टेंट के वितरण के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत सहायक उपकरणों सहित पोर्टेबल टेंटों की संख्या	100	100	100	100	100	प्रवास के दौरान आवास की व्यवस्था	वितरित सहायक उपकरणों सहित पोर्टेबल टेंटों की संख्या	नोमेडस की रहने की स्थिति में सुधार हुआ

4.4.5. लाभार्थी- प्रवासी प्रकृति के पश्मीना नोमेडस

4.5.- एलईडी लाइटों के साथ प्रीडेटर प्रूफ कोरल का वितरण

4.5.1. उद्देश्य- लद्दाख में पश्मीना बकरियों को विभिन्न परिस्थितियों में पाला जाता है, जिसमें व्यापक चराई से लेकर नजदीकी एकांतवास तक शामिल हैं। चांगथांग में जंगली जानवरों के साथ मुठभेड़ के परिणामस्वरूप पशुधन की हानि होती है जिससे पश्मीना अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अनिवार्य रूप से ईंटों और पत्थर से बना एक प्रीडेटर प्रूफ कोरल, छत पर चेन लिंक जाल के साथ-साथ एक एलईडी आधारित प्रीडेटर वार्निंग लाइट के साथ मजबूत किया गया है, जो कई खानाबदोश गांवों को लाभान्वित करेगा जो इन जंगली हमलों से ग्रस्त हैं।

4.5.2. कार्यान्वयन एजेंसियां

क) पशु/भेड़/उद्योग विभाग और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की कोई अन्य सरकारी एजेंसी

ख) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार के भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार निगम/संघ

4.5.3. शर्तें-

(i) आईए जिला प्रशासन/वन्य जीव विभाग के परामर्श से जंगली हमले की आशंका वाले गांवों में बाड़ों के स्थानों का चयन करेगा और परियोजना को क्रियान्वित करेगा।

(ii) आईए बाड़ों के विनिर्देश, डिजाइन को अंतिम रूप देगा।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों के पास परियोजना के तहत निर्मित इकाई की पूरी सूची होनी चाहिए, जिसमें लाभार्थी का विवरण, गांव और ब्लॉक का नाम जहां उनके घर स्थित है, झुंड का

आकार (पश्मीना बकरी) और लाभार्थियों की श्रेणी (एससी/एसटी/बीपीएल) तथा अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होना चाहिए।

(iv) स्थलों सहित लाभार्थियों का चयन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्थानीय प्रशासन के परामर्श से किया जाएगा।

(v) लाभार्थियों के चयन और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदन के बाद, आधार संख्या, फोटो आईडी जैसे उनके विवरण के साथ लाभार्थियों की सूची के साथ घटक के लिए सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(vi) समयावधि - सभी प्रीडेटर प्रूफ कोरल योजना अवधि के भीतर पूरे किए जाएंगे।

(vii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(viii) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

4.5.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक /आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
एलईडी लाइट सहित प्रीडेटर प्रूफ कॉरल का वितरण **(आवंटन - 400 लाख रू.)**	*ईकाइ मूल्य :- एक लाख* *5 वर्षों के लिए लक्ष्य :-* 400 प्रीडेटर प्रूफ कॉरल	एलईडी लाइटों के साथ प्रीडेटर प्रूफ कोरल के वितरण के लिए स्वीकृतवितीय सहायता	एलईडी लाइटों के साथ प्रीडेटर प्रूफ कोरल के वितरण को मंजूरी दी गई	100	80	80	80	60	पश्मीना बकरियों की सुरक्षा के लिए प्रीडेटर प्रूफ कॉरल का निर्माण	वितरित एलईडी लाइटों के साथ प्रीडेटर प्रूफ कोरल की संख्या	प्रीडेटर के विरुद्ध पशमीना बकरियों की सुरक्षा पशमीना बकरियों की मृत्यु दर में कमी

4.5.5. लाभार्थी- पश्मीना खानाबदोश और पश्मीना बकरियाँ

4.6. पश्मीना उत्पादों की पहचान/परीक्षण के लिए डीएनए विश्लेषक सहित परीक्षण उपकरण

4.6.1. उद्देश्य- पश्मीना फाइबर भारत में सबसे बेहतरीन पशु फाइबर में से एक है। सीमित उपलब्धता और ऊंची कीमतों के कारण, निर्माताओं द्वारा ऐसे प्राकृतिक फाइबर में मिलावट एक आम बात बनती जा रही है। वर्तमान में, शुद्ध पश्मीना को समान दिखने वाले विकल्पों से अलग करने के लिए लागत प्रभावी और आसानी से उपलब्ध पद्धति का अभाव है। पशु फाइबर की उत्पत्ति की पहचान

करने के लिए पॉलिमरेज़ चेन रिएक्शन (पीसीआर)-आधारित पहचान विधि का उपयोग किया जा सकता है। शुद्ध पश्मीना उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए डीएनए विश्लेषक प्रयोगशाला स्थापित करने का घटक रखा गया है।

4.6.2. कार्यान्वयन एजेंसियां

क) पशु/भेड़/उद्योग विभाग और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख/जम्मू-कश्मीर की कोई अन्य सरकारी एजेंसी।

ख) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख/जम्मू-कश्मीर सरकार का भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार के निगम/संघ

ग) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के संगठन/अनुसंधान एवं विकास संस्थान।

घ) राज्य/केंद्र सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के विश्वविद्यालय

ङ) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्र सरकार के विभाग/संगठन

4.6.3. शर्तें-

(i) आईए उपकरणों की सूची प्रदान करेगा

(ii) सभी उपकरण जीएफआर मानदंडों का पालन करते हुए खरीदे जाएंगे

(iii) आईए प्रयोगशाला के लिए भवन और तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध कराएगा

(iv) आईए उपकरण का रखरखाव करेगा

(v) आईए परीक्षण सुविधाओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क लगा सकता है

(vi) परीक्षण सुविधा शुल्क के आधार पर आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी

(vii) आईए विशेष संगठन के परामर्श से पहचान परीक्षण के संचालन के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करेगा।

(viii) आईए पश्मीना उत्पाद की प्रामाणिकता के लिए उसके प्रमाणीकरण का प्रावधान करेगा।

(ix) समय अवधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 24 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(x) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(xi) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी, निरीक्षण रिपोर्ट और उपकरण/मशीनों की संस्थापना के बाद 40%।

4.6.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
पश्मीना उत्पादों की पहचान/परीक्ष	*पाँच वर्षों के लिए लक्ष्य:- लेह*	पश्मीना उत्पादों की पहचान/परीक्ष	परीक्षण प्रयोगशाला के लिए	-	1	-	1	-	स्थापित परीक्षण प्रयोगशाला की संख्या.	प्रयोगशाला में किए गए	वास्तविक पश्मीना

उप-घटक/आवंटन	5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य	आउटपुट		वर्षवार सांकेतिक आउटपुट					आउटकम		प्रभाव
		आउटपुट	संकेतक	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	आउटकम	संकेतक	
ण के लिए डीएनए विश्लेषक सहित परीक्षण उपकरण (आवंटन-250 लाख)	*और श्रीनगर में 2 प्रयोगशालाएँ*	ण के लिए डीएनए विश्लेषक सहित परीक्षण उपकरणों के लिए स्वीकृत वितीय सहायता	परियोजनाओं की स्वीकृत संख्या.							परीक्षणों की संख्या	उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि प्रमाणित पश्मीना उत्पाद सुनिश्चित करना

4.6.5. लाभार्थी- पश्मीना बुनकर/कारीगर, सहकारी समितियां, एसएचजी और पश्मीना उत्पादों के खरीदार

4.7. लेह में डेहेयरिंग प्लांट परिसर में शोरूम का विकास

4.7.1. उद्देश्य-प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में शुद्ध पश्मीना शॉल की मांग हमेशा से रही है। यह एक लक्जरी फाइबर के रूप में पहचाना जाता है और इसकी अत्यधिक कोमलता, सुन्दरता और चमक के कारण वस्त्रों की दुनिया में इसकी कीमत सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में लेह शहर एक पर्यटन स्थल बनकर उभरा है और यह पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है। पर्यटक बड़ी मात्रा में लेह से पश्मीना शॉल और अन्य पश्मीना उत्पाद खरीदते हैं। एक ऐसा स्थान विकसित करने की आवश्यकता है जो आम जनता, विशेषकर पर्यटकों को वास्तविक/प्रामाणिक पश्मीना उत्पाद उपलब्ध करा सके। लेह को प्रामाणिक उत्कृष्ट पश्मीना उत्पादों का आपूर्तिकर्ता बनने के लिए प्रगति करनी चाहिए। उप-घटक का उद्देश्य एक शोरूम विकसित करना है जो शुद्ध पश्मीना शॉल उपलब्ध कराएगा। यह मौजूदा और आगामी स्थानीय उद्यमियों को भी सहायता प्रदान करेगा।

4.7.2. कार्यान्वयन एजेंसियां

क) पशु/भेड़/उद्योग विभाग और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की कोई अन्य सरकारी एजेंसी
ख) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार के भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार के निगम/संघ

4.7.3. शर्तें

(i) आईए शोरूम, आवश्यक फर्नीचर, फिक्स्चर के लिए भवन के निर्माण की लागत सहित डीपीआर तैयार करेगा।
(ii) भवन का निर्माण सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
(iii) आईए पश्मीना उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए बुनकरों/कारीगरों/एसएचजी/सहकारिता समितियाँ को शामिल कर सकता है।

(iv) भवन और अन्य वस्तुओं का रखरखाव आईए द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) आईए पर्यटन को आकर्षित करने के लिए वास्तविक पश्मीना उत्पादों की सरकारी शोरूम पर उपलब्धता का प्रचार करेगी।

(vi) आईए तिमाही आधार पर शो रूम में बेचे गए पश्मीना उत्पादों की बिक्री के आंकड़े प्रस्तुत करेगा।

(vii) समय अवधि- परियोजना पहली किस्त जारी होने के 36 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(viii) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे।

(ix) अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

4.7.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
लेह में डेहेयरिंग प्लांट परिसर में शोरूम का विकास (आवंटन- 50 लाख)	*इकाई मूल्य:- 50 लाख* *पांच वर्षों के लिए लक्ष्य:- एक शोरूम*	लेह में डेहेयरिंग प्लांट परिसर में शोरूम के विकास के लिए परियोजना के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता	स्वीकृत शोरूम की संख्या	-	1	-	-	-	पूर्ण हुए शोरूम की संख्या	पश्मीना उत्पादों के बिक्री आंकड़े रूपये में	पश्मीना उत्पादों के विपणन की सुविधा

4.7.5 लाभार्थी- पश्मीना बुनकर/कारीगर, सहकारी समितियां , एसएचजी

4.8. उप-घटक: <u>पश्मीना बकरियों के लिए चारा भूमि/सरकारी फार्म का विकास</u>

4.8.1. उद्देश्य- लद्दाख क्षेत्र में चारे की कमी, विशेषकर सर्दियों में, अत्यधिक होती है। सर्दियों के दौरान जब चरागाहें बर्फ की मोटी परत से ढक जाती हैं तो मृत्यु दर काफी बढ़ जाती है। वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चारा भूमि विकसित करने की आवश्यकता है। उपघटक का उद्देश्य कुशल सिंचाई सुविधाओं और जल प्रबंधन तकनीकों के निर्माण के माध्यम से अतिरिक्त सामुदायिक बंजर भूमि को चारे की खेती के तहत लाना

है। क्षेत्र में चारागाह विकास फैंसिंग, सिंचाई सुविधा के निर्माण और सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के माध्यम से किया जाएगा।

4.8.2. कार्यान्वयन एजेंसियां:

क) पशु/भेड़/उद्योग विभाग और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की कोई अन्य सरकारी एजेंसी

ख) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार का भेड़ एवं ऊन बोर्ड/राज्य सरकार के निगम/संघ

4.8.3. शर्तें

(i) आईए विकसित की जाने वाली चारा भूमि के स्थान की पहचान करेगा।

(ii) विकसित किए जाने वाले प्रत्येक चारा फार्म की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसमें परियोजना का स्थान, की जाने वाली गतिविधियां, वित्तीय विवरण, संबद्ध कार्यान्वयन एजेंसी, आवश्यक ड्राइंग शामिल होगी, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी और सीडब्ल्यूडीबी को प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) डीपीआर में चारा भूमि में उगाए गए चारे के उपयोग/वितरण की पद्धति भी शामिल होगी।

(iv) समय अवधि - सभी चारा भूमि/खेतों को योजना अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(v) उपरोक्त शर्तों के अलावा पैरा 8 में दिए गए सामान्य दिशानिर्देश भी लागू होंगे। अनुदान राशि निम्नलिखित तरीके से जारी की जाएगी:-

क) पहली किस्त: परियोजना की मंजूरी के समय कुल अनुदान का 60%

ख) दूसरी किस्त: पहली किस्त की यूसी और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 40%

4.8.4. 5 वर्षों के लिए बजट आवंटन, इकाई मूल्य, भौतिक लक्ष्य, आउटपुट परिणाम संकेतक इस प्रकार हैं-

उप-घटक/आवंटन	**5 वर्षों के लिए इकाई मूल्य और लक्ष्य**	**आउटपुट**		**वर्षवार सांकेतिक आउटपुट**					**आउटकम**		**प्रभाव**
		आउटपुट	**संकेतक**	**21-22**	**22-23**	**23-24**	**24-25**	**25-26**	**आउटकम**	**संकेतक**	
पश्मीना बकरियों के लिए चारा भूमि/सरकारी फार्म का विकास। **(आवंटन- रु. 200 लाख)**	*इकाई मूल्य* :- 50 *लाख* 5 *वर्षों के लिए लक्ष्य* :- 4 चारा भूमि/फार्म	पश्मीना बकरियों के लिए चारा भूमि/सरकारी फार्म के विकास के लिए वित्तीय सहायता	स्वीकृत चारा भूमि/सरकारी फार्म की संख्या	-	1	1	1	1	विकासित चारा भूमि/सरकारी फार्म की संख्या	चारा भूमि में उपजे चारे की मात्रा	पश्मीना बकरियों के लिए चारे की उपलब्धता में वृद्धि

4.8.5. लाभार्थी- पश्मीना खानावदोश और पश्मीना बकरी

अनुबंध-1

ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए सीडब्ल्यूडीबी, जोधपुर के एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) के तहत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

1	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम और पूरा पता टेलीफोन नंबर, डाक पिन, ई-मेल आदि के साथ।
2	कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) की प्रकृति-
3	योजना और उप-योजना/घटक का नाम जिसके अंतर्गत परियोजना प्रस्तुत की गई है-
4	पिछले 3 वर्षों में एजेंसी और उसकी गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण -
5	परियोजना के उद्देश्य-
6	परियोजना का संक्षिप्त विवरण (विस्तृत डीपीआर संलग्न किया जा सकता है) -
7	परियोजना का संक्षिप्त औचित्य-
8	परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पद्धति-
9	मात्रात्मक शब्दों में अपेक्षित आउटपुट और परिणाम संकेतक और संभावित रोजगार सृजन (यदि कोई हो)
10	सहायक डेटा के साथ परियोजना के कार्यान्वयन के कारण परिदृश्य में बदलाव का संक्षिप्त विवरण (मौजूदा और परियोजना के कार्यान्वयन के बाद)
11	परियोजना के लाभार्थी यदि कोई हों (संख्या में) तो उनका विवरण जैसे आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उनकी श्रेणी (एससी/एसटी/महिला/सामान्य) और उन्हें कैसे लाभ मिलेगा।
12	लाभार्थियों के चयन का तरीका-
13	घटक अनुसार परियोजना लागत-
14	परियोजना की घटकवार अवधि के साथ परियोजना की कुल अवधि-
15	परियोजना का स्थान-
16	संबद्ध एजेंसी का नाम जो परियोजना के कार्यान्वयन का हिस्सा होगी, यदि कोई हो-
17	एजेंसी के बैंक खाते और पैन कार्ड वाले लाभार्थियों का विवरण (यदि लागू हो), डीबीटी के लिए यदि लागू हो आदि।
18	नोडल अधिकारी के नाम, पता और मेल आईडी, मोबाइल नंबर.
19	अन्य जानकारी यदि कोई हो-

नोट: परियोजना प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी को भौतिक प्रति के साथ सीडब्ल्यूडीबी को ई-मेल पते अर्थात woolindiajodhpur@dataone.in पर भेजना आवश्यक होगा।

ग. मासिक/त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप

केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी) का एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडव्ल्यूडीपी)

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम:

योजना/परियोजना का नाम:-

परियोजना के अंतर्गत गतिविधि:-

परियोजना का क्षेत्र/स्थान:-

परियोजना की अवधि:

कुल स्वीकृत अनुदान:

इस अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट:

क्र.सं.	**घटक**	**कुल स्वीकृत अनुदान**	**कुल जारी अनुदान**	**कुल उपयोग क्रिया अनुदान**	**भौतिक प्रगति**	**टिप्पणी,यदि कोई हो**
1	2	3	4	5	6	7
	कुल योग					

व्यक्तिगत लाभार्थी का विवरण,यदि लागू :

क. सं.	**घटक**	**लाभार्थियों के नाम एवं पता**	**आधार सं. और बैंक विवरण**	**श्रेणी**				**संवितरित/ हस्तांतरित कुल रकम**	**अनुदान के संवितरण का तरीका (डीबीटी/का इंड आदि)**	**टिप्पणी यदि कोई हो**
				एससी	एसटी	महिला	सामान्य			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6	7	8	**11**	**12**	**13**
	कुल									